रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED No. D-(D)-78

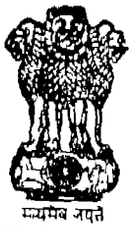

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
3 SEP 1978
INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1978 (ज्येष्ठ 6, 1900)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1978 (JYAISTHA 6, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	527
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाए	697
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	499
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1137
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को (छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1429
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	127
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2927
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	415
भाग III—खण्ड 3— मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1169
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	89

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	527
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	697
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	499
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	1137
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other an the Administrations of Union Territories) ..	1429
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	127
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	2927
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	415
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1169
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	89

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1977

सं० 29-प्रेश/78—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी असाधारण कर्तव्य-परायणता अथवा साहस के कार्यों के लिए "वायुसेना मैडल"/"एयर फोर्स मैडल" सहर्ष प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह (5040) उड़ान (पायलट)

विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह ने जुलाई, 1974 में एक फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली । इन्होंने 4000 घण्टों से भी अधिक समय की उड़ानें भरी और 1965 और 1971 के भारत-पाक संघर्षों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह ने निजी सावधानी के कारण पिछले दो वर्षों में सुरक्षित हवाई उड़ान का उत्तम रिकार्ड बनाए रखा है । 1975 में, अन्तर-स्क्वाड्रन तोपखाना प्रतियोगिता के दौरान फ्रंट-गन फायरिंग तथा गोलाबारी में इनका स्क्वाड्रन सर्वोत्तम रहा । जब स्क्वाड्रन को एक परिवहन वायुयान अड्डे से वायुयानों की एक टुकड़ी का संचालन करने को कहा गया तो विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह ने इस काम को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया । विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह ने साहस, व्यावसायिक कुशलता और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. स्क्वाड्रन लीडर सुदेश चन्द खुल्लर (5605) उड़ान (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर सुदेश चन्द खुल्लर सितम्बर, 1973 से एक अग्रिम लड़ाकू स्क्वाड्रन के सदस्य हैं । इस दौरान इन्होंने 464 घण्टों की उड़ाने भरी हैं । एक अनुभवी योग्यता प्राप्त फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर होने के नाते इन्होंने अधिकतर युवा पायलटों को प्रशिक्षण देने का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप अब उस स्क्वाड्रन में संक्रियात्मक आधार पर काम करने के लिए तैयार किए गए पायलटों की संख्या काफी बढ़ गई है और यह पूरा स्क्वाड्रन इस समय उड़ान योग्यता क्रम में आता है । स्क्वाड्रन लीडर सुदेश चन्द खुल्लर के कार्यकाल के दौरान स्क्वाड्रन ने पांच टुकड़ियों का संचालन किया और प्रत्येक बार हाथ में लिए गए काम को बिना किसी दुर्घटना के पूरा किया । स्क्वाड्रन लीडर खुल्लर ने अब तक एक ही इंजिन के हवाई जहाज पर 4000 घण्टे की उड़ाने भरी हैं जिसमें से इन्होंने 1636 घण्टे नये पायलटों के प्रशिक्षण में लगाए हैं ।

स्क्वाड्रन लीडर सुदेश चन्द खुल्लर ने साहस, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

3. स्क्वाड्रन लीडर शशि धरन पानीकर (6761) उड़ान (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर शशिधरन पानीकर जून, 1971 से छात्राधारी प्रशिक्षण स्कूल में एक स्टाफ इन्स्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं । इस समय ये पैकेट वायुयानों के मास्टर ग्रीन वर्ग में हैं और इन्हें कमान परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त है । इन्होंने आपातकालीन उड़ाने जिस प्रकार भरी उनसे इनकी व्यावसायिक कुशलता का पता चलता है । 31 दिसम्बर, 1974 को एक ऐसे ही अवसर पर जब ये 20 यात्रियों और 2000 किलोग्राम सामान को वायुयान से ले जा रहे थे तब हवाई पट्टी से उड़ान भरते समय ये बड़े जोखिम में पड़ गए, क्योंकि हवाई पट्टी से कुछ ही फुट ऊपर इनका वायुयान कुछ खराबी के कारण अचानक डोलने लगा । स्क्वाड्रन लीडर पानीकर ने धैर्य और कुशलता से वायुयान को काबू में कर लिया और इस प्रकार एक भयंकर दुर्घटना होने से बच गई ।

स्क्वाड्रन लीडर पानीकर काफी अनुभवी इन्स्ट्रक्टर भी हैं । अपनी 5350 घण्टों की उड़ानों में से इन्होंने प्रशिक्षण देने के लिए 1450 घण्टों की उड़ानें की हैं ।

स्क्वाड्रन लीडर शशि धरन पानीकर ने साहस, व्यावसायिक दक्षता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

4. स्क्वाड्रन लीडर चेतन स्वरुप कटारिया (7605) उड़ान (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर चेतन स्वरुप कटारिया मई, 1974 से एक विशिष्ट संचार हेलीकाप्टर यूनिट के अफसर कमांडिंग हैं । इन्होंने 3300 घण्टों की दुर्घटना रहित उड़ानें भरी हैं और अनेक नये पायलटों को प्रशिक्षण देने और अपनी यूनिट का संक्रियात्मक स्तर काफी ऊंचा बनाने में ये काफी सहायक रहे । इन्होंने न केवल अपना कर्तव्य भलीभांति निभाया बल्कि 1975 में पंजाब और राजस्थान में अनेक बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों को बचाने में तथा बाढ़ राहत कार्यों में बड़ा योगदान दिया । इनकी असाधारण संगठनात्मक योग्यता मार्गदर्शन और सक्रिय निगरानी से 19 मास की अवधि में यूनिट ने बिना दुर्घटना के 3600 घण्टों की उड़ानें भरीं । इन्होंने अपनी यूनिट में, बिना किसी खर्च के, चेतक हेलीकाप्टर के लिए बैटरी द्वारा चालित सुवाह्य ईंधन-पुनर्भरण रिंग का विकास किया जो कि इनकी उल्लेखनीय उपलब्धि है ।

16 अक्तूबर, 1975 को स्क्वाड्रन लीडर कटारिया जब रात की प्रशिक्षण उड़ान पर थे तो इन्होंने देखा कि इनके हेलीकाप्टर के इंजिन में कुछ खराबी आ गई है जिसके कारण इंजिन टार्क पूरी तरह से नष्ट हो गया है और रोटर आर० पी० एम० में भारी कमी आ गई है । इन्होंने इस संकटपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लिया और हेलीकाप्टर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना नीचे उतार लाये ।

स्क्वाड्रन लीडर चेतन स्वरुप कटारिया ने साहस, उच्च व्यावसायिक कुशलता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

5 स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार मोहोत्रा (8441) उड़ान (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार मोहोत्रा को अप्रैल, 1964 में भारतीय वायु सेना में कमीशन दिया गया । इन्होंने 3010 घण्टे की दुर्घटना रहित उड़ाने भरी हैं, जिसमें से 2218 घण्टे की उड़ान हेलीकाप्टर पर की है । दिसम्बर, 1975 से ये एक हेलीकाप्टर यूनिट की कमान संभाले हुए हैं ।

23 मई, 1976 को स्क्वाड्रन लीडर मोहोत्रा ने 15,300 फुट ऊंचाई पर स्थित त्रिशूल बेस कैम्प से गम्भीर रूप से घायल एक पर्वतारोही को वहां से उठा लाने का कार्य संभाला । वहां पर्वतारोही दल द्वारा

बनाई गई हवाई पट्टी हेलीकाप्टर को सुरक्षित उतारने के लिए उपयुक्त न थी। लेकिन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्क्वाड्रन लीडर मोहोला ने उस क्षेत्र की पूरी टोह ली और शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि कैंप के एक टेंट को हटा दिया जाए तो हेलीकाप्टर उतारने के लिए जगह बन जाएगी। पर्वतारोही दल को इसकी सूचना दी गई और टेंट को हटा दिया गया। इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर मोहोला ने हेलीकाप्टर को सुरक्षित नीचे उतारा और उस घायल पर्वतारोही को हेलीकाप्टर में रख कर सुरक्षित ले आए।

26 मई, 1976 को काफी लम्बी और दुर्गम उड़ान पूरी करने के बाद स्क्वाड्रन लीडर मोहोला को पुनः उत्तरी सीमा से लगे इलाके से गम्भीर रूप से घायल कुछ नागरिकों को उठा लाने के लिए कहा गया। ये दो अन्य हेलीकाप्टरों के साथ तत्काल घायलों के निकट स्थित हवाई पट्टी की ओर रवाना हो गए। इस बीच, चूंकि तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने की सूचना दी जा चुकी थी और हेलीकाप्टर से उन्हें बचाने की आशा नहीं रही थी, अतः घायलों को कठिन और संकीर्ण पहाड़ी रास्ते से स्ट्रेचर द्वारा ले जाया जाने लगा था। घायलों को अच्छे अस्पताल में ले जाने की जरूरत को देखते हुए स्क्वाड्रन लीडर मोहोला ने घायलों को तट के लिए आवश्यक व्यवस्था जुटानी शुरु कर दी। इन्होंने अपने हेलीकाप्टर को तेज झकोरे देने वाली तेज हवा में पत्थरों से भरी हुई सूखी नदी में उतारा। इनकी असाधारण कुशलता और सूझबूझ ने इनकी यूनिट के पायलटों को प्रेरित किया।

इस सम्पूर्ण कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार मोहोला ने असाधारण साहस, उड़ान भरने की प्रवीणता और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

6. स्क्वाड्रन लीडर भंवर सिंह राठौर (8687) उड़ान (पायलट)।

स्क्वाड्रन लीडर भंवर सिंह राठौर को भारतीय वायु सेना में अगस्त, 1964 में कमीशन दिया गया। तब से इन्होंने 5600 घण्टों की उड़ानें भरी हैं, जिसमें अकेले एक वर्ष में 560 घण्टे की उड़ानें शामिल हैं। वायु सेना मुख्यालय संचार स्क्वाड्रन में अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान इन्होंने 2000 घण्टे की उड़ानें भरी जो कि अधिकतर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों के लिए की गई हैं। एच० एस०-748 वायुयान के संचालन में ये सर्वोच्च वर्ग तथा उड़ान योग्यता-क्रम में आते हैं। देशीन वायुयान उड़ाते हुए तीन बार इनके इंजन खराब हुए। तीनों बार स्क्वाड्रन लीडर राठौर अद्भुत साहस और उड़ान प्रवीणता का परिचय देते हुए वायुयान को सुरक्षित जमीन पर ले आए। 1971 के संघर्ष में इन्होंने फौज को पूर्वी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए दिन-रात उड़ान भरी और 200 घण्टे की उड़ानें भर कर संघर्ष कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्क्वाड्रन लीडर भंवर सिंह राठौर ने साहस, उच्च व्यावसायिक कुशलता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1978

सं० 4/1/78/पी० ए० सी०—लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को लोक लेखा समिति में 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है।

लोक सभा के सदस्य

1. श्री हलीमुद्दीन अहमद
2. श्री बालक राम
3. श्री बृज राज सिंह
4. श्री सी० के० चन्द्रप्पन
5. श्री अशोक कृष्ण दत्त
6. श्री के० गोपाल
7. श्री कंवर लाल गुप्त
8. श्री विजय कुमार मल्होत्रा
9. श्री बी० पी० मंडल
10. श्री आर० के० म्हालगी
11. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
12. श्री गौरी शंकर राय
13. श्री पी० वी० नरसिंह राव
14. श्री एम० सत्यनारायण राव
15. श्री वसंत साठे

राज्य सभा के सदस्य

16. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
17. श्री एम० कादिरशाह
18. श्री सीताराम केसरी
19. डा० भाई महावीर
20. श्रीमती लीला दामोदरन मेनन
21. श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी
22. श्री ज्ञान चन्द तोतु।

2. अध्यक्ष महोदय, श्री पी० वी० नरसिंह राव को समिति का सभापति नियुक्त करते हैं।

एच० जी० परांजपे, मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 1978

सं० 4/1/ई० सी०/77—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को प्राक्कलन समिति में, 1 मई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है।

1. श्री वी० अरुणाचलम
2. श्री यशवन्त बोरोले
3. श्री दिलीप चक्रवर्ती
4. श्री के० एस० चावडा
5. श्री तुलसीदास दासप्पा
6. श्रीमती मृणाल गोरे
7. श्री एस० नमजेश गौडा
8. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
9. श्री सरत कार
10. श्री बसन्त सिंह खालसा
11. श्री निहार लास्कर
12. श्री मही लाल
13. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
14. श्री मृत्युंजय प्रसाद
15. श्री अमृत नाहाटा
16. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
17. श्री डी० बी० पाटिल
18. श्री एस० बी० पाटिल

19. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी
20. श्री के० विजय भास्कर रेड्डी
21. डा० सरदीश राय
22. श्री एन० के० शेजवालकर
23. श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
24. श्री गंगाभक्त सिंह
25. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
26. श्री उग्रसेन
27. श्री के० पी० उन्नी कृष्णन्
28. श्री शंकरसिंहजी वघेला
29. श्री रूप नाथ सिंह यादव
30. श्री विनायक प्रसाद यादव

अध्यक्ष महोदय, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को समिति का सभापति नियुक्त करते हैं ।

करतार सिंह भल्ला, मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 1978

सं० 3/1/एस० सी० टी० सी०/78—लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में, 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है :—

सदस्य

लोक सभा

1. श्री टी० बाल कृष्णैया
2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री भारत सिंह चौहान
4. श्री सोमजी भाई डामोर
5. श्री वीरेन सिंह एंगती
6. श्री हुकम राम
7. श्री हुकम चन्द कछवाय
8. श्री बी० सी० काम्बले
9. श्री रामचन्द्र मलिक
10. श्री चरण नरजरी
11. श्री नथुनी राम
12. श्री नटवर लाल परमार
13. श्री के० प्रधानी
14. श्री बी० रचैया
15. श्री रामचरण
16. श्री रामधन
17. श्री अमर राय प्रधान
18. श्री पूर्ण नारायण सिन्हा
19. श्री सूरज भान
20. श्री भाउसाहिब थोरट

राज्य सभा

21. श्री भगवान दीन
22. श्री प्रेसनजित बर्मन
23. श्री बलराम दास
24. श्री श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी
25. श्रीमती सरोज खपारडे
26. श्री एस० कुमारन
27. श्री पी० के० कुंजाचन
28. डा० (श्रीमती) सथियावनी मुथु
29. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
30. श्री प्रभु सिंह

2. अध्यक्ष महोदय श्री रामधन को समिति का सभापति नियुक्त करते हैं ।

यदुवंश सहाय, मुख्य विधायी समिति अधिकारी

(पी० यू० सांच)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 1978

सं० 4(1)-पी० यू०/78—लोकसभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री ओ० वी० अलगेसन
2. श्री मगन्ती अंकिनीडु
3. श्री ज्योतिर्मय बसु
4. श्रीमती चन्द्रावती
5. श्री त्रिदिब चौधरी
6. श्री हितेन्द्र देसाई
7. श्री अनन्त राम जायसवाल
8. श्री लखन लाल कपूर
9. श्री के० लक्कप्पा
10. श्री धर्मसिंह भाई पटेल
11. श्री राघवजी
12. श्री पदमचरण सामंतसिंहार
13. श्री भानु कुमार शास्त्री
14. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
15. श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी

राज्य सभा के सदस्य

1. श्री एस० डब्ल्यू० धाबे
2. श्री के० एन० घुलप
3. श्री एच० बी० महिडा
4. श्री मुरासोली मारन
5. श्री देव राम पाटिल
6. श्री इरा सेझियान
7. श्री वीरेन्द्र जे० शाह

अध्यक्ष महोदय श्री ज्योतिर्मय बसु को समिति का सभापति नियुक्त करते हैं ।

त्रिलोक नाथ खन्ना, वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 1978

आदेश

स० 27/26/78-सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (II) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कथित धारा 209 क के उद्देश्यों के लिए प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता के कार्यालय में संयुक्त निदेशक, निरीक्षण श्री एस० बी० माथुर को प्राधिकृत करती है ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस विभाग के 76-77 के आदेश संख्या 27/5/76-सी० एल० द्वारा श्री एस० बी० माथुर के पक्ष में प्रेषित प्राधिकरण को निरस्त करती है ।

एन० एल० पिल्ल, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1978

संकल्प

स० 17(221)/73-एच० ई० एम०—भारत सरकार ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा यूनिडो की सहायता से तिरुचि में वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह पूर्णरूप से प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित है और वेल्डिंग के अधिकांश पहलुओं पर व्यावहारिक कार्य (प्रेक्टिकल वर्क) किया जा सकता है। फिल्मों, क्लोज सर्किट टेलीविजन, आटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्शनों आदि के माध्यम से आधुनिक शिक्षण सुविधाएं शिक्षण में सहायता के रूप में उपलब्ध की गई हैं। इसमें परामर्शदायी सेवा प्रभाग, प्रदर्शन सेवा तथा प्रौद्योगिकी विकास स्थापित किया गया है । संस्थान राष्ट्रीय ख्याति का होगा। इस विचार पर अमल करने के उद्देश्य से सरकार ने संस्थान के कार्य को देखने तथा समन्वित करने के लिए एक शीर्षस्थ सलाहकार समिति की स्थापना की है निम्नलिखित विचारार्थ विषय हैं :—

1. वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान के उद्देश्यों की समीक्षा करना तथा उसका समय-समय पर अद्यतम करना ;
2. संस्थान द्वारा चलाए गये कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा भावी कार्यक्रम पर सलाह देना;
3. इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने से संबंधित सभी मामलों पर अनुसंधान संस्थान को सलाह देना;
4. इस बात का सुनिश्चिय करना कि संस्थान तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के मध्य अन्तर कार्रवाई को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाए तथा प्रौद्योगिकी अंतरों तथा उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं को पूरा करना।

2. सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री वी० कृष्णामूर्ति, सचिव, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली।
2. ब्रिगे० बी० जे० साहनी, सचिव, (तकनीकी विकास) तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली।
3. डा० ए० राम चन्द्रन सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली।
4. श्री एस० सी० डे, तकनीकी सलाहकार (वायलर) औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली।
5. डा० ए० के० गुप्त, महानिदेशक भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली।
6. डा० एम० आर० श्रीनिवासन, निदेशक, पावर प्रोजेक्ट इंजीनियरी डिवीजन, परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई।
7. श्री नरेश चन्द्र, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. श्री ओ० एस० एस० राव, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम।
9. श्री एस० वी० नादकर्णी, मुख्य तकनीकी कार्यकारी, आडवाणी और लिकन लिमिटेड, बम्बई।
10. श्री एन० एस० शेषाद्री, उत्पादन प्रबंधक, लारसेन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, बम्बई।
11. श्री रोगर पोल्गर रेजीडेंट प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली।
12. श्री आई० एम० पश्रीक प्रेसीडेंट, भारतीय वेल्डिंग संस्थान, 48/1, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता-700027।
13. डा० एस० रामचन्द्रन निदेशक (अनुसंधान तथा विकास) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची।
14. डा० एच० एन० शरन, निदेशक (इंजीनियरी) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
15. श्री वी० आर० दीनदयालु, कार्यकारी निदेशक एवम् ग्रुप महाप्रबन्धक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली।
16. श्री आर० कृष्णामूर्ति, संयोजक, परियोजना समन्वयक, वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान, तिरुचिरापल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है इस संकल्प की एक-एक प्रति सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

नरेश चन्द्र, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 1978

संकल्प

सं० वी० 17020/25/77-एम० ई० (पी० जी०)—13 मई 1977 के संकल्प संख्या वी० 17020/25/77-एम० ई० (पी० जी०) का पालन करते हुए भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उक्त में निर्दिष्ट विचारार्थ विषय में उल्लिखित विभिन्न बातों के बारे में जांच करने संकल्प और रिपोर्ट देने के लिए डा० के० नागप्पा अल्वा का एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था और इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर 1977 तक केन्द्रीय सरकार को पेश करनी थी।

30 सितम्बर, 19 दिसम्बर, 1977, 18 जनवरी, 1978 और 9 फरवरी, 1978 के संकल्प संख्या बी० 17020/25/77-एम० ई० (पी० जी०) के अनुसरण में इस आयोग की अवधि को 28 फरवरी, 1978 तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह आयोग केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक 31 मई, 1978 तक प्रस्तुत कर देगा।

आदेश

आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

का० रा० कृष्ण मूर्ति संयुक्त सचिव

नई दिल्ली दिनांक 28 अप्रैल 1978

सं० जेड, 28015/118/77-एच०—विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम तथा लेडी हार्डिंग अस्पताल का तत्काल नीचे लिखे अनुसार नाम बदलने का निर्णय किया गया है :

पुराना नाम	नया नाम
(1) विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली।	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और उपचर्या गृह, नई दिल्ली।
(2) लेडी हार्डिंग अस्पताल नई दिल्ली।	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली।

राजकुमार जिन्दल, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1978

सं० 18-6/70-एल० डी०-1—पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जोकि उक्त धारा की अपेक्षानुसार पहले प्रकाशित किए गए थे, अर्थात् :—

पशु परिवहन नियम, 1978

अध्याय-1

1. **संक्षिप्त नाम**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु परिवहन नियम, 1978 है।

2. **परिभाषा**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) अर्हत पशु चिकित्सक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालय का कोई डिप्लोमा या उपाधि हो,

(ख) "अनुसूची" में इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

अध्याय-2

कुत्तों तथा बिल्लियों का परिवहन

3. नियम 4 से लेकर नियम 14 तक सभी नस्लों के कुत्तों और बिल्लियों के परिवहन को लागू होंगे, चाहे उनका परिवहन रेल, सड़क, अन्तर्देशी जल मार्ग, समुद्र या वायु मार्ग से किया जाए।

4. (क) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य प्रमाण-पत्र, कि कुत्ते तथा बिल्लियां रेल, सड़क, अंतर्देशी जल मार्ग समुद्र या वायु मार्ग से यात्रा करने की ठीक दशा में हैं और इन पर रेबीज रोग सहित संक्रामक या छूत के रोग के कोई निशान नहीं दिखाई देते हैं, प्रत्येक परेषण के साथ होगा और यह प्रमाण पत्र अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा।

(ख) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार करने से इंकार कर देगा।

5. गर्भ की परिपक्व अवस्था में किसी कुत्ते या बिल्ली का परिवहन नहीं किया जाएगा।

6. (क) एक ही आधान में परिवहन किये जाने वाले कुत्ते या बिल्ली एक ही जाति और नस्ल के होंगे।

(ख) कुत्तों के दूध पीने वाले पिल्ले या बिल्ली के बच्चे अपनी मां के अलावा अन्य वयस्क कुत्तों या बिल्लियों के साथ नहीं भेजे जायेंगे।

(ग) कोई कानोन्मादी कुतिया या बिल्ली किसी कुत्ते या नर बिल्ली के साथ नहीं भेजी जायेगी।

7. (क) कोई कुत्ता या बिल्ली, जो क्रोधी या चिड़चिड़े स्वभाव का बताया गया हो, अकेले एक पिंजरे में, मुंह बंद करके और एक ऐसा लेबल चिपका कर के भेजा जाएगा जिससे कि उन्हें सम्भालने वालों को चेतावनी मिलती रहे।

(ख) गम्भीर मामलों में कुत्ते या बिल्लियों का उपचार किसी अर्हत पशु चिकित्सक द्वारा औषधि से किया जाएगा।

8. (1) यदि कुत्ते या बिल्लियों का लम्बी दूरी तक परिवहन किया जाना हो तो :—

(क) उन्हें परिवहन करने से कम से कम दो घण्टे पहले खाना और पानी दिया जाएगा और यदि ये भूखे या प्यासे हों तो परिवहन के लिए उन्हें पैक नहीं किया जाएगा,

(ख) उन्हें प्रेषण से पहले यथा सम्भव देर से नित्यकर्म से निवृत्त किया जाना चाहिए,

(ग) उन्हें गर्मियों में प्रत्येक चार घंटे पर और जाड़ों में प्रत्येक छह घण्टे पर पीने के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा,

(घ) परेषकों के निदेशानुसार (यदि कोई हो), वयस्क कुत्तों या बिल्लियों को बारह घण्टों में एक बार, कुत्तों के पिल्लों और बिल्ली के बच्चों को चार घण्टों में एक बार, खाना दिया जाएगा,

(ङ) यात्रा के दौरान उनकी देख-भाल और व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा।

(2) यदि कुत्ते या बिल्लियों का रेल द्वारा परिवहन किया जाना हो, जो कि 6 घण्टे से अधिक की यात्रा हो, तो उनके साथ एक अनुचार उन्हें रास्ते में खाना और पानी देने के लिए जाएगा और यह अनुचार इस प्रयोजन के लिए सभी स्टेशनों पर कुत्तों या बिल्लियों के पास तक पहुंच सकेगा और कुत्ते या बिल्ली को इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि ऐसी यात्रा के दौरान उसे हवा के सीधे झोंके लगते रहें।

9. यदि कुत्तों या बिल्लियों को किसी सार्वजनिक यान में सड़क मार्ग से थोड़ी दूरी के लिए भेजा जाना हो तो निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिए, अर्थात् :—

(क) उन्हें एक पिंजरे में रखा जाए, और कुत्ते या बिल्लियों वाले पिंजरे को यान की छत पर न रखा जाए, परन्तु उन्हें यान के अन्दर, विशेषकर यान के पिछले किनारे के पास रखा जाए,

(ख) कुत्तों या बिल्लियों का परिवहन करने वाले यान को यथा सम्भव एक समान गति रखनी चाहिए। यान को एक दम रोकना नहीं चाहिए और उन पर धक्कों और झटकों का प्रभाव कम से कम पड़ना चाहिए,

(ग) परिवहन के दौरान सारे समय कम से कम एक अनुचार अवश्य उपस्थित रहे जो इस बात को सुनिश्चित करे कि परिवहन संबंधी समुचित शर्तों का पालन किया गया है और आवश्यकतानुसार भोजन तथा पानी की भी पूर्ति कर दी गई है।

10. यदि कुत्तों या बिल्लियों का वायु मार्ग द्वारा परिवहन किया जाना हो तो :—

(क) पिंजरों में कुत्तों या बिल्लियों को रखने से पहले उन्हें उचित रूप से साफ किया जाएगा और रोगाणु नष्ट किए जाएंगे,

(ख) बिल्लियों के लिए आराम सामग्री के रूप में पिंजरों में पर्याप्त धान की भूसी या चिरी हुई लकड़ी का बुरादा या कागज की कतरनों की व्यवस्था की जाएगी,

(ग) अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए कुत्तों या बिल्लियों को नियमित तापक्रम के साथ दाबानुकूलित कक्ष में रखा जाएगा।

11. कुत्तों और बिल्लियों के परिवहन वाले क्रेटों का आकार तथा प्रकार स्पष्ट रूप से क्रमशः अनुसूची "ख" और अनुसूची "ग" में विनिर्दिष्ट आकार और प्रकार के यथा सम्भव अनुरूप होगा।

12. कुत्तों या बिल्लियों के सब आधानों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुआ होगा और उस पर परेषक का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो) लिखा हुआ होगा।

13. परेशिती को रेल गाड़ी या वाहन के पहुंचने का समय, या फ्लाइट नम्बर और फ्लाइट पहुंचने का समय पहले से ही सूचित किया जाएगा।

14. रेल या सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किए जाने वाले कुत्ते या बिल्लियों का परेषण अगली पैसेंजर या मेल ट्रेन या बस से बुक किया जाएगा और परेषक की बुकिंग स्वीकार करने के पश्चात उसे रोका नहीं जाएगा।

अध्याय-3

बन्दरों का परिवहन

15. नियम 16 से नियम 23 तक बन्दरों के पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल शीर्ष तक सभी प्रकार के बन्दरों के परिवहन को लागू होंगे।

16. (क) किसी अर्हत पशु-चिकित्सक से इस आशा का एक विधिमान्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कि बन्दर पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल-शीर्ष तक यात्रा करने के लिए ठीक दशा में है और उन पर संक्रामक या छूत रोग के कोई चिह्न नहीं दिखाई देते हैं, प्रत्येक परेषण के साथ होगा।

(ख) ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार करने से इंकार कर देगा।

(ग) यह प्रमाण पत्र अनुसूची "घ" में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा।

17. (1) संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए, एक क्षेत्र से पकड़े गए बन्दरों को दूसरे क्षेत्र के बन्दरों के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

(2) पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल शीर्ष तक के परिवहन का समय यथासम्भव कम से कम होगा और जिन कारणों से बंदरों पर कोई भार पड़ता हो उन्हें कम से कम किया जायेगा।

(3) यदि यात्रा का समय छह घण्टे से अधिक हो तो रास्ते में बन्दरों को खाना खिलाने और पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) परिवहन के दौरान, सख्त मौसम की दिशाओं से बन्दरों की सुरक्षा करने के लिए सावधानी बरती जाएगी और जो बन्दर रास्ते में मर जाएंगे उन्हें यथाशीघ्र हटा दिया जाएगा।

18. जिन बंदरों ने पूर्ण रूप से दूध नहीं छोड़ा है, अर्थात् जो भार में 1.8 किलोग्राम से कम है, उनका परिवहन नहीं किया जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्टतः इसकी अनुमति न दी हो।

19. (क) गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्दरियों का परिवहन नहीं किया जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्टतः इसकी अनुमति न दी हो।

(ख) गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्दरियों तथा 5 किलोग्राम से अधिक भार के बन्दरों का पिंजरों में परिवहन किया जाएगा।

20. एक ही पिंजरे के सब बन्दर एक ही जाति और लगभग एक ही भार और आकार के होंगे।

21. अपने प्राकृतिक आवास स्थल के भीतर पकड़े गए बन्दर नये, निर्जमित अथवा पूर्ण रूप से साफ किए गए पिंजरों में रखे जाएंगे और इनका पश्चात्वर्ती स्थानान्तरण भी, यदि कई हो, नये निर्जमित या पूर्ण रूप से साफ किए गए पिंजरों में किया जाएगा।

22. बंदरों का परिवहन, पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल-शीर्ष तक अधिक से अधिक द्रुतगामी वाहन से जो उपलब्ध हो, किया जाएगा और यात्रा के दौरान किसी भी समय बन्दरों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

23. (1) (क) बंदरों को लकड़ी या बांस के उचित पिंजरों में भेजा जाएगा जो इस प्रकार से बने हों कि उनसे बंदर निकलकर भाग न सके, परन्तु उनमें संवातन के लिए पर्याप्त हवा का आना जाना बना रहे।

(ख) पिंजरों के बाहर या बन्दर कोई कील, बाहर निकले हुए धातु के भाग या धारदार किनारे नहीं होने चाहिए।

(ग) प्रत्येक पिंजरे में पानी तथा खाने के पर्याप्त बर्तन होंगे, जो रिसने वाले न हों और जिन्हें परिवहन के दौरान साफ किया जा सके और भरा जा सके।

(2) पिंजरों के फर्श बांस के रिपरों के बने होंगे और प्रत्येक रिपर के बीच का स्थान 20 मि० मी० और 30 मि० मी० के बीच होगा।

(3) इन पिंजरों को बुलाई की सुविधा के लिए पिंजरों के ऊपरी चारों किनारों पर रस्सी के फंदों की व्यवस्था की जाएगी।

(4) भरे हुए किसी भी पिंजरे का भार 45 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

(5) पिंजरों के निम्नलिखित दो आकारों का उपयोग किया जाएगा :—

(क) 910 × 760 × 510 मि० मी० :—इनमें प्रत्येक 1.8 और 3.0 किलोग्राम के बीच के अधिक से अधिक 12 बन्दर अथवा प्रत्येक 3.1 और 5.00 किलोग्राम के बीच के अधिक से अधिक 10 बन्दर रखे जाएंगे।

(ख) 710 × 710 × 510 मि० मी०:—इनमें प्रत्येक 1.8 और 3.0 कि० ग्राम के बीच के अधिक से अधिक 10 बंदर अथवा प्रत्येक 3.1 और 5.0 कि० ग्रा० के बीच के अधिक से अधिक आठ बंदर रखे जाएंगे, परन्तु बंदरों के पकड़े जाने वाले क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल शीर्ष तक बंदरों को ले जाने के लिए, इन नियमों की अनुसूची (ङ) में विनिर्दिष्ट लकड़ी के पिंजरों का भी उपयोग किया जा सकेगा।

(6) दोनों प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा अनुसूची "ङ" में दिया गया है।

24. नियम 25 से लेकर नियम 32 तक बंदरों के एक रेल शीर्ष से दूसरे रेल शीर्ष तक अथवा एक रेल शीर्ष से निकटतम हवाई अड्डे तक के परिवहन को लागू होंगे।

25. (क) बंदरों को चढ़ाने तथा उतारने का काम शीघ्र और दक्षता के साथ किया जाएगा।

(ख) पिंजरे इस ढंग से लादे जाएंगे कि इनमें संवातन की पर्याप्त व्यवस्था रहे और बन्दर खिचाव और प्रत्यक्ष गर्मी या ठंड से बचे रहें।

(ग) जो बंदर मरे पाये जाएंगे उन्हें उचित निपटान के लिए शीघ्र हटा दिया जाएगा।

26. परिवहन के पिंजरे नियम 23 में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

27. (1) यात्रा के लिए परेषक द्वारा खाद्य तथा जल के पर्याप्त प्रदाय की उचित व्यवस्था की जाएगी।

(2) यदि यात्रा 6 घंटे से अधिक की हो रास्ते में बंदरों को खाना, जल और अन्य चीजों की सप्लाई करने के लिए उनके साथ एक अनुचार होने और रास्ते में सभी स्टेशनों पर बंदरों को खिलाने, पानी पिलाने और उन पर ध्यान देने के लिए उस अनुचर की उनके पास एक पहुंच रहेगी ।

(3) खाने और पानी के बर्तनों की कम से कम प्रत्येक 6 घंटे में जांच की जाएगी और उन्हें आवश्यकतानुसार भरा जाएगा ।

(4) बंदरों को रात में परेशान नहीं किया जाएगा ।

28. एक पिंजरे के ऊपर एक से अधिक पिंजरा नहीं रखा जाएगा, और यदि एक पिंजरा दूसरे पिंजरे के ऊपर रखा गया है तो दो पिंजरों के बीच टाट के बारे रखे जाएंगे ।

29. बंदर हवाई अड्डे पर काफी समय पहले लाए जाएंगे ।

30. वायुयान पर चढ़ाये जाने से ठीक पहले बंदरों को खाना तथा पानी दिया जाएगा ।

31. (क) पिंजरों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुआ होगा, जिस पर परेषक और परेषिती का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो) मोटे लाल अक्षरों में लिखा होगा ।

(ख) परेषिती को उस रेल गाड़ी की, जिसमें बंदर भेजे जा रहे हैं, और उसके पहुंचने के समय की पहले से ही सूचना दी जाएगी ।

(ग) परिवहन किये जाने वाले बंदरों का परेषण अगली पैसेंजर या मेल गाड़ी से बुक किया जाएगा और परेषण को बुकिंग के लिए स्वीकार करने के पश्चात उसे रोका नहीं जाना चाहिए ।

32. (क) किसी अर्हत पशु-चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य प्रमाण पत्र कि बंदर निकटतम रेल शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक अथवा एक रेल शीर्ष से निकटतम हवाई अड्डे तक यात्रा करने के लिए ठीक दशा में है और उन पर संक्रमाक या छूत के रोग के कोई चिह्न दिखाई देते हैं, प्रत्येक परेषण के साथ होगा ।

(ख) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार करने से इंकार कर देगा ।

(ग) यह प्रमाण-पत्र अनुसूची "घ" में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा ।

33. नियम 34 से नियम 45 तक बंदरों का वायुयान द्वारा परिवहन करने को लागू होंगे ।

34. परिवहन का समय यथा सम्भव कम से कम होगा और, जिन कारणों से बंदरों पर कोई भार पड़ता हो उन्हें कम से कम किया जाएगा ।

35. जिन बदरों ने पूर्ण रूप से दूध नहीं छोड़ा है, अर्थात् जो बंदर भार में 1.8 किलोग्राम से कम है, उनका परिवहन नहीं किया जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्टतः इसकी अनुमति न दी हो ।

36. गर्भवती और दूध पिलाने वाली बंदरियों का परिवहन नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्ट इसकी अनुमति न दी हो । गर्भवती और दूध पिलाने वाली बंदरियों का और जिन बंदरों का भार 5 किलो ग्राम से अधिक हो उनका परिवहन विशेष रूप से बने हुए अलग-अलग पिंजरों में किया जाएगा ।

37. एक ही पिंजरे के सब बंदर एक ही जाति और लगभग एक ही भार तक आकार के होंगे ।

38. (1) रोग-संक्रमण के खतरे की दृष्टि से केवल एक ही जाति के बन्दर वायुयान के एक केबिन या कक्ष में भेजे जायेंगे।

(2) प्रत्यक्ष रूप से बीमार या अपंग बन्दरों को, जिन पर चोट के बाहरी चिह्न हों, अथवा जिन पर परिजीवियों का पर्याक्रमण हो, परिवहन नहीं किया जायेगा।

(3) अन्य जातियों के पशुओं, पक्षियों, मछलियों, खाद्य सामग्री अथवा कृमिनाशी और कीटनाशक औषधियों जैसी विषैली सामग्री को एक ही केबिन या कक्ष में भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

39. (1) परिवहन के दौरान किसी भी समय बन्दर, जब उनका परिवहन माल ढोने वाले विमान में किया जा रहा हो तब अकेले नहीं छोड़े जायेंगे ।

(2) जब वायुयान जमीन पर रहे तब हर समय कम से कम एक अनुचर उपस्थित होना चाहिये ।

40. (1) बन्दरों को लकड़ी के उचित पिंजरों में भेजा जायेगा, जो इस प्रकार के बने हों कि उनसे बन्दर निकलकर भाग न सके और उनमें संवातन के लिये पर्याप्त हवा का आना जाना बना रहे । ऐसे पिंजरों के अन्दर या बाहर कोई कील, बाहर निकले हुए धातु के भाग या धारदार किनारे नहीं होंगे। प्रत्येक पिंजरे में पानी और खाने के ऐसे बर्तन होंगे, रिसने वाले न हों और जिनमें परिवहन के दौरान साफ किया जा सके । विष्ठा की ट्रे में बुरादा उचित अवशोषक सामग्री रखी जायेगी ।

(2) भरे हुए एक पिंजरे का भार किसी भी हालत में 45 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।

(3) पिंजरों के निम्नलिखित दो आकार प्रयोग में लाये जायेंगे:—

(क) 460×460×460 मि० मी०—इनमें प्रत्येक 1.8 से 3.0 किलोग्राम तक के भार के अधिक से अधिक पांच बन्दर अथवा प्रत्येक 3.1 से 5.0 किलोग्राम तक के भार के अधिक से अधिक चार बन्दर रखे जायेंगे, और

(ख) 760×530×460 मि० मी०—इनमें प्रत्येक 1.8 से 3.0 कि० ग्रा० तक के भार के अधिक से अधिक दस बन्दर अथवा 3.1 से 5.0 कि० ग्राम तक के भार के अधिक से अधिक आठ बन्दर रखे जायेंगे ।

(40) (4) दोनों प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा अनुसूची 'च' में दिया गया है ।

(5) गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्दरियों के परिवहन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले दोनों प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा अनुसूची 'छ' में दिया गया है ।

41. (क) पिंजरों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुआ होगा, जिस पर परेषक और परेषिती का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो) मोटे लाल अक्षरों में लिखा होगा।

(ख) परेषिती को माल ढोने वाले उस वायुयान के फ्लाइट नम्बर, जिसमें बन्दरों को भेजा जा रहा है और उसके पहुंचने के समय को पहले से ही सूचना दी जायेगी।

(ग) परिवहन किये जाने वाले बन्दरों का परेषण माल ढोने वाले वायुयान की अगली फ्लाइट में बुक किया जायेगा और परेषण की बुकिंग के लिये स्वीकार करके के पश्चात् उसे रोका नहीं जाना चाहिये ।

42. (1) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कि बन्दर वायुयान से यात्रा करने के लिये ठीक है और उन पर संक्रमांक तथा छूत के रोग के कोई चिह्न नहीं दिखाई देते है, बन्दरों के प्रत्येक परेषण के साथ होगा।

(2) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक नोवहन के लिये परेषण को स्वीकार करने से इन्कार कर देगा ।

(3) उप नियम (ज्ञ) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुसूची 'घ' में दिया गया है ।

43. (1) हवा एक घण्टे में कम से कम बारह बार बदली जायेगी और हवा के झोंके बचाये जायेंगे तथा हवा कहीं भी रोकी नहीं जायेगी।

(2) सिवाये जब के जब बन्दरों को खाना और पानी दिया जा रहा था वे आधे अंधेरे में यात्रा करेंगे, ताकि वे शान्त रह सकें और उनमें लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति कम रहे तथा इस प्रकार उन्हें आराम करने के लिये बेहतर मौके मिल सकें ।

44 रुकने के प्रत्येक स्थान पर खाने तथा पानी के बर्तनों की जांच की जायेगी और उन्हें आवश्यकतानुसार भरा जायेगा और वायुयान में तथा रुकने के संभावित स्थानों में खाने का पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहेगा ।

टिप्पणी:—प्रत्येक बन्दर को प्रतिदिन लगभग 85 ग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। उनके लिये उचित खाना सूखा अनाज या चना है। यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें साबुत चने के बिस्कुट या गेहूं के आटे की रोटी खिलाई जाये। प्रत्येक बन्दर को प्रति दिन कम से कम 140 मि० लि० पानी दिया जाना चाहिये ।

45. ऐसे बन्दरों को रखने के लिये, जो यात्रा के दौरान बीमार हो जायें अथवा चोट खा जायें, माल ढोने वाले वायुयान में सामान्य आकार के एक खाली पिंजरे को, जिसके पार्श्व ढके हुए हों (सिवाय इसके कि पिंजरे का ऊपरी 50 मि० मी० स्थान संवातन के लिये खुला होना चाहिये), व्यवस्था होनी चाहिये ।

अध्याय 4

पशुओं का परिवहन

46. नियम 47 से नियम 56 तक गायों, सांडों, बैलों, भैंसों, याकों और बछड़ों का (जिन्हें इसके पश्चात् इन नियमों में "पशु" कहा गया है) रेल या सड़क द्वारा किये जाने वाले परिवहन को लागू होंगे।

47. (क) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का विधिमान्य प्रमाण पत्र, कि पशु रेल या सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये ठीक दशा में है और वे किसी संक्रामक या छूत या परजीवी जीवाणु रोग से पीड़ित नहीं है तथा उन पर पशु प्लेग एवं अन्य किसी संक्रामक या छूत या परजीवी जीवाणु के रोग या रोगों के टीके लगाये गये हैं, प्रत्येक परेषण के साथ होगा।

(ख) ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार करने से इन्कार कर देगा ।

(ग) यह प्रमाण पत्र अनुसूची "ज" में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा ।

48. पशुओं के सभी समूहों के साथ पशु चिकित्सा प्रथमोचार के उपकरण होंगे ।

49. (क) प्रत्येक परेषण पर एक लेबल लगा हुआ होगा, जिस पर परेषक और परेषती का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो), परिवहन किये जा रहे पशुओं की संख्या तथा उनकी किस्म और दिये जाने वाले राशन तथा भोजन की मात्रा मोटे लाल अक्षरों में लिखी जायेगी ।

(ख) परेषिती को उस रेलगाड़ी या यान की, जिस में पशुओं के परेषण को भेजा जा रहा है और उसके पहुंचने के समय की पहले से ही सूचना दी जायेगी।

(ग) पशुओं का परेषण अगली रेलगाड़ी या यान से बुक किया जायेगा और परेषण को बुकिंग के लिये स्वीकार करने के पश्चात् उसे रोका नहीं जायेगा ।

50. रेल वैगन या यान में प्रत्येक पशु के लिये निश्चित किया जाने वाला औसत स्थान दो वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

51. (क) पशुओं को यानों में लादने या यानों से उतारने के लिये उचित रैम्पों या प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जायेगा ।

(ख) यदि प्लेटफार्म पर लादने या उतारने का कार्य किया जा रहा हो तो रेल वैगन की दशा में, उस के गिराये गये दरवाजे का रैम्प के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा ।

52. पशुओं को उचित रूप से खाना और पानी देने के पश्चात् ही लादा जायेगा ।

53. जिन पशुओं का गर्भ परिपक्व अवस्था का हो वे युवा पशुओं के साथ नहीं मिलाये जायेंगे, जिस से वे परिवहन के दौरान भगदड़ से बचे रह सकेंगे ।

54. (1) रास्ते में जल की व्यवस्था की जायेगी और आपात स्थिति के लिये जल की पर्याप्त मात्रा ले जाई जायेगी ।

(2) यात्रा के दौरान पर्याप्त भोजन तथा चारा, और उसका काफी स्टाक साथ में ले जाया जायेगा ।

(3) संचालन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

55. रेल द्वारा परिवहन किये जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था रहेगी:—

(क) एक साधारण माल वैगन में ब्रॉड गेज पर दस वयस्क पशुओं या पन्द्रह बछड़ों से अधिक नहीं ले जाये जायेंगे, मीटर गेज पर छह वयस्क पशुओं से या दस बछड़ों से या छह बछड़ों से अधिक नहीं ले जाये जायेंगे ।

(ख) पशुओं को ले जाने वाले प्रत्येक वैगन में कम से कम एक अनुचर रहेगा ।

(ग) पशुओं को इस प्रकार लादा जायेगा कि वे रेल की पटरियों के सामानान्तर रहें और उनका चेहरा एक दूसरे के सामने रहे।

(घ) पुआल जैसी भराई की सामग्री फर्श पर इस प्रकार बिछाई जायेगी कि जब पशु लेटें तब उन्हें कोई चोट न लगे। यह पुआल कम से कम 6 सें० मी० तक मोटी होगी ।

(ङ) यात्रा का राशन वैगन के बीच में रखा जायेगा ।

(च) पर्याप्त संचालन के लिये वैगन की एक तरफ का ऊपरी दरवाजा खुला रखा जायेगा और उचित रूप से बंद होगा तथा वैगन के ऊपरी दरवाजे पर तार की जाली होगी, जिसके छेद इतने छोटे होंगे कि इंजिन से उड़ते हुए जलते हुए कोयले वैगन में न घुस सकें और आग न लग सके ।

(छ) पशुओं के वैगन, रेलगाड़ी के मध्य में जोड़े जाने चाहिये ।

(ज) वैगनों में खाना नहीं बनाया जायेगा और बिना चिमनी की हरीकेन लालटेन भी नहीं जलाई जायेगी ।

(झ) वैगन के प्रत्येक पार्श्व पर दो मजबूत छड़े होनी चाहियें, जिनमें से 60 सें० मी० से 80 सें० मी० की ऊंचाई पर और दूसरी 100 सें० मी० से 110 सें० मी० की ऊंचाई पर होगी ।

(ञ) दुधारू पशुओं का दूध दिन में कम से कम दो बार निकाला जायेगा बछड़ों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीने के लिये दिया जायेगा ।

(ट) जहां तक सम्भव होगा, पशुओं को केवल रात ही में ले जाया जायेगा ।

(ठ) यदि सम्भव हो तो दिन के समय उन्हें वाहन से उतारा जाना चाहिये । खाना और पानी दिया जाना चाहिये तथा उन्हें आराम मिलना चाहिये और यदि वे दुधारू हों तो उनका दूध निकाला जाना चाहिये ।

56. यदि पशुओं को माल वाहक यान से ले जाया जाना हो तो निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिये अर्थात्:—

(क) विशेष किस्म के टोल बोर्ड और पार्श्वों के चारों और विशेष संयंत्र सहित विशेष रूप से फिट किये गये यानों का उपयोग किया जाना चाहिये ।

(ख) साधारण माल वाहक यानों में फर्श पर नारियल की जटा की चटाई अथवा लकड़ी के बोर्ड जैसी फिसलन रोधी सामग्री बिछाई जायेगी और यदि यान कम ऊंचा हो तो ऊंचाई बढ़ाई जायेगी ।

(ग) माल वाहक यान में छह से अधिक पशु नहीं ले जाये जायेंगे ।

(घ) प्रत्येक माल वाहक यान में एक अनुचर की व्यवस्था रहेगी ।

(क) पशुओं का परिवहन करते समय माल वाहक यान में कोई अन्य माल नहीं लादा जायेगा ।

(ख) पशुओं को डर अथवा चोट से बचाने के लिये विशेष रूप से उनका चेहरा इंजन की ओर होना चाहिये ।

अध्याय 5

अश्वजातीय पशुओं का परिवहन

57. नियम 57 से नियम 63 तक घोड़ों, खच्चरों और गधों के (जिन्हें इसके पश्चात् इन नियमों में अश्वजातीय पशु कहा गया है), रेल, सड़क या समुद्र द्वारा परिवहन करने पर लागू होंगे:—

58. (क) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य प्रमाण-पत्र कि अश्वजातीय पशु रेल, सड़क या समुद्र द्वारा यात्रा करने के लिये ठीक दशा में है और वे छूत या संक्रामक रोग या रोगों से पीड़ित नहीं हैं, प्रत्येक परेषण के साथ होगा ।

(ख) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार करने से इन्कार कर देगा ।

(ग) यह प्रमाण-पत्र अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा ।

59. (क) प्रत्येक परेषण पर एक लेबल लगा हुआ होगा जिस पर परेषक तथा परेषिती का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो), परिवहन किये जा रहे अश्वजातीय पशुओं की संख्या तथा उनकी किस्म और दिये जाने वाले राशन तथा भोजन की मात्रा मोटे लाल अक्षरों में लिखी जायेगी ।

(ख) परेषिती को उस रेलगाड़ी या यान या पोत की जिस में अश्वजातीय पशुओं के परेषण को भेजा जा रहा है, और उसके पहुंचने के समय की पहले से सूचना दी जायेगी ।

(ग) अश्वजातीय पशुओं का परेषण अगली रेलगाड़ी या यान या पोत से बुक किया जायेगा और परेषण को बुकिंग को लिये स्वीकार करने के पश्चात् उसे रोका नहीं जा जायेगा ।

60. (क) गर्भधारी और युवा अश्वजातीय पशुओं को अन्य पशुओं के साथ नहीं मिलाया जायेगा ।

(ख) विभिन्न किस्म के अश्वजातीय पशुओं को अलग अलग रखा जायेगा ।

(ग) अश्वजातीय पशुओं को पर्याप्त खाना और पानी देने के पश्चात् लादा जायेगा। रास्ते के लिये जल की व्यवस्था की जायेगी और पूरी यात्रा के लिये पर्याप्त खाना ले जाया जायेगा ।

(घ) अश्वजातीय पशुओं के सभी समूहों के साथ पशु चिकित्सा प्रथमोपचार उपकरण होंगे ।

(ङ) पर्याप्त संवादन की व्यवस्था की जायेगी ।

(च) अश्वजातीय पशुओं को चढ़ाने तथा उतारने के लिये उचित रैम्पों तथा प्लेटफार्मों का उपयोग किया जायेगा और जहां वे उपलब्ध न हों, वहां उनकी कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी ।

61. अश्वजातीय पशुओं का रेल द्वारा परिवहन करने के लिये निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिये ।

(क) अश्वजातीय पशुओं का परिवहन केवल पैसेंजर अथवा मिश्रित रेलगाड़ियों से ही किया जायेगा ।

(ख) परिवहन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली साधारण माल वैगन में ब्रॉड गेज पर आठ दस घोड़े या दस खच्चर या दस गधों से अधिक ले जाये जायेंगे, और मीटर गेज पर छह घोड़े या आठ खच्चर या आठ गधों से अधिक नहीं ले जाये जायेंगे ।

(ग) अत्यधिक गर्मी के मौसम में रेल प्राधिकारी तापक्रम कम करने के लिये अश्वजातीय पशुओं के वैगनों पर पानी का छिड़काव करेंगे । यदि किसी अर्हत पशु चिकित्सक ने सिफारिश की है तो वैगन के अन्दर विशेष रूप से बने हुए आधानों में बर्फ की सिल्लियां रखी जायेंगी ।

(घ) यदि किसी वैगन में दो से अधिक अश्वजातीय पशु हों तो उस वैगन में दो अनुचर रहेंगे ।

(ङ) अश्वजातीय पशुओं को इस प्रकार लादा जायेगा कि वे रेल की पटरियों के समान्तर रहें और उनके चेहरे आमने सामने रहें ।

(च) धान की पुआल जैसी भराई की साधनगी फर्श पर इस प्रकार बिछाई जायेगी कि जब पशु जमीन पर लेटें तब उसे कोई चोट न लगे और यह भराई कम से कम 6 सें० मी० मोटी होनी चाहिये ।

(छ) पर्याप्त संवातन की व्यवस्था करने के लिये वैगन की एक तरफ का ऊपरी दरवाजा खुला रखा जायेगा और उचित रूप से बन्द हुआ होगा तथा वैगन के ऊपरी दरवाजे पर जाली होगी, जिसके छेद इतने छोटे होंगे कि इंजन से उड़ते हुए जलते कोयले वैगन में न घुस सकें और आग न लग सके ।

(ज) वैगन के प्रत्येक पार्श्व पर दो मजबूत छड़ें लगी होनी चाहिये जिनमें से एक 60 सें० मी० से 80 सें० मी० की ऊंचाई पर और दूसरी 100 सें० मी० से 110 सें० मी० की ऊंचाई पर लगी होगी ।

62. माल वाहक यान से अश्वजातीय पशुओं का परिवहन करने के लिये निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिये अर्थात्:—

(क) विशेष किस्म के टील बोर्ड और पार्श्वकों के चारों और विशेष भराव सहित विशेष रूप से फिट किये गये यानों का उपयोग किया जायेगा ।

(ख) साधारण माल वाहक यानों में फर्श पर फिसलन रोधी सामग्री बिछाई जायेगी और यदि यान कम ऊंचा हो तो ऊंचाई बढ़ाई जायेगी ।

(ग) पशुओं को गिरने से बचाने के लिये प्रत्येक पशु के बीच कम से कम 8 सें० मी० व्यास के बांस के खम्भे और पीछे की ओर दो मजबूत बटनों की व्यवस्था की जायेगी ।

(घ) घोड़ों को डर अथवा चोट से बचाने के लिये उनके सिर जिस ओर ट्रैफिक जा रहा है उस से दूर बाईं ओर को होंगे ।

(ङ) प्रत्येक वाहन में अधिक से अधिक चार से छह तक अश्वजातीय पशु ले जाये जायेंगे ।

(च) प्रत्येक वाहन में एक अनुचर होगा ।

(छ) इन वाहनों की गति प्रति घण्टा 35 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी ।

63. अश्वजातीय पशुओं का समुद्र द्वारा परिवहन करने के लिये निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिये अर्थात्:—

(क) सामान्यतः घोड़ों को एक एक स्टाल में और खच्चरों को गोठों में रखा जायेगा। प्रत्येक गोठ में चार से पांच तक खच्चर होंगे ।

(ख) मूके (पोर्ट होल) रखकर और सभी डेकों पर वायु के स्थाई ट्रंकों या बिजली की धोंकनी की व्यवस्था करके पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा और दूषित हवा को बाहर निकालने के लिये निकास पंखे लगाये जायेंगे ।

(ग) जहाज में सभी आड़े खड़े होंगे जिनके मुंह अग्वर की तरफ होंगे ।

(घ) विशेषकर गर्मी के मौसम में परेशानी को दूर करने के लिये पशुओं को पोत पर लादने के ठीक बाद पोत को शीघ्र चलाया जाना चाहिये और पोत के लंगर डाल लेने के पश्चात् पशुओं को यथा संभव शीघ्र उतारा जाना चाहिये ।

(ङ) घोड़े के बच्चों तथा चचल घोड़ियों को खुले डेकों पर रखा जायेगा ।

(च) 5 प्रतिशत अश्वजातीय पशुओं के लिये एक फार्मेसी और अतिरिक्त स्टाल उपलब्ध होंगे ।

(छ) गोठ की दो पंक्तियों के बीच की दूरी कम से कम 1 5 मीटर होगी ।

अध्याय 6

भेड़ों तथा बकरियों का परिवहन

64. नियम 65 से नियम 75 तक भेड़ों तथा बकरियों के रेल या सड़क द्वारा परिवहन पर लागू होंगे, जिस में कि 6 घंटे से अधिक की यात्रा हो ।

65. (क) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कि भेड़ तथा बकरियां रेल या सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये ठीक दशा में हैं और वे संक्रमक या छूत या परजीवी जीवाणु रोग से पीड़ित नहीं हैं प्रत्येक परेषण के साथ होगा ।

(ख) ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार करने से इंकार कर देगा ।

(ग) यह प्रमाण-पत्र अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा ।

66. (क) प्रत्येक परेषण पर एक लेवल लगा हुआ होगा, जिस पर परेषक तथा परिषिती का नाम, पता तथा टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो), परिवहन की जा रही भेड़ों तथा बकरियों की संख्या और किस्म और दिये जाने वाले राशन तथा भोजन की मात्रा मोटे लाल अक्षरों मे लिखी जायेगी ।

(ख) परेषिती को अग्रिम रूप से उस रेलगाड़ी या यान की जिसमे भेड़ों या बकरियों के परेषण को भेजा जा रहा है, और उसके पहुंचने के समय की, पहले से सूचना दी जायेगी ।

(ग) भेड़ों तथा बकरियों का परेषण अगली रेल गाडी या यान द्वारा बुक किया जायेगा और परेषण को बुकिंग के लिये स्वीकार करने के पश्चात उसे रोका नहीं जायेगा ।

67. (क) परिवहन में भेड़ या बकरियों के साथ प्रथमोपचार के उपकरण होंगे ।

(ख) भेड़ तथा बकरियों को चढ़ाने तथा उतारने के लिये उचित रैम्पों की व्यवस्था की जायेगी ।

(ग) रेल वैगन की दशा में, जब चढ़ाने तथा उतारने का काम प्लेटफार्म पर किया जा रहा हो, तब उसके गिराये गये दरवाजे को रैम्प के रूप मे प्रयोग किया जाएगा।

68. भेड़ों तथा बकरियों का परिवहन पृथक पृथक किया जायेगा, परन्तु यदि समूह छोटे हों तो उन्हें अलग करने के लिये विशेष विभाग की व्यवस्था की जायेगी ।

69. नर युवा भेड़ों तथा बकरो के साथ एक ही कक्ष मे मादा भेड़ें तथा बकरियां नही मिलाई जाएंगी।

70. यात्रा के दौरान इतना पर्याप्त भोजन तथा चारा ले जाया जाना चाहिये कि वह आखिर तक चलता रहे, और नियमित समय के अन्तर पर जल की व्यवस्था की जायेगी ।

71. पुआल जैसी भराई की सामग्री फर्श पर इस प्रकार बिछाई जायेगी कि जब पशु लेटे तक उसे कोई चोट न लगे । यह पुआल कम से कम 5 सेंन्टीमीटर तक मोटा होगा ।

72. पशुओं को जंजीर से कसा नही जायेगा जब तक कि उनके बाहर कूदने का खतरा न हो और उनकी टागें बांधी नही जाएंगी ।

73. बकरी के लिये उतने ही स्थान की आवश्यकता होगी जितने स्थान की आवश्यकता ऊन वाली भेड़ के लिये होती है और माल वाहक यान या रेल वैगन में भेड़ के लिये अपेक्षित लगभग स्थान निम्नलिखित होगा:—

किलोग्राम में पशु का लगभग भार	अपेक्षित स्थान (वर्ग मीटर में)	
	ऊन वाले	ऊन रहित
20 से अनधिक	0.18	0.18
20 से अधिक किन्तु 25 से अनधिक "	0.20	0.18
25 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक	0.23	0.22
30 से अधिक	0.28	0.26

74. (क) रेल वैगन में निम्नलिखित संख्या से अधिक भेड़ें या बकरियां नहीं रखी जायेंगी:—

ब्राड गेज		मीटर गेज		नेरो गेज
1	2	3	4	5
वैगन का क्षेत्रफल	वैगन का क्षेत्रफल	वैगन का क्षेत्रफल	वैगन का क्षेत्रफल	
21.1 वर्गमीटर से कम	21.1 वर्गमीटर तथा इससे अधिक	12.5 वर्गमीटर से कम	12.5 वर्गमीटर तथा उससे अधिक	
70	100	50	60	25

(ख) प्रत्येक वैगन में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। वैगन की एक तरफ का ऊपरी दरवाजा खुला रखा जायेगा और उचित रूप से लगा होगा तथा वैगन के ऊपरी दरवाजे पर तार की जाली होगी जिसके छेद इतने छोटे होंगे कि इंजन से उड़ते हुए जलते कोयले वैगन में न घुस सकें और आग न लग सके ।

75 (1) 5 या 4-1/3 टन की क्षमता वाले माल वाहक यान जो सामान्यतया पशुओं के परिवहन के उपयोग में लाये जाते हैं अधिक से अधिक 40 भेड़ या बकरियों को ले जायेंगे ।

(2) बड़े माल वाहक यानों और वैगनों की दशा में पाट के आर पार प्रत्येक दो या तीन मीटर पर विभाजन की व्यवस्था की जायेगी ताकि भेड़ तथा बकरियों की भीड़-भाड़ और पाशन से सुरक्षा की जा सके ।

(3) छह सप्ताह से कम आयु की मादा भेड़ों, बकरियों या मेमनों या बकरी के बच्चों की दशा में पृथक पैनलों की व्यवस्था की जायेगी ।

बी० बी० कपूर, उप सचिव

---

1. अनुसूची—क

(नियम 4 देखिये)

कुत्तों/बिल्लियों की यात्रा के लिये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाण-पत्र पूरा भरा जाना चाहिये और इस पर अर्हंत पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिये ।

जांच की तारीख तथा समय————————————

कुत्ते/बिल्ली की जाति————————————

पिंजरों की संख्या——————कुत्तों/बिल्लियों की सं०——————

[illegible] ——————आयु————————————

[illegible] तथा पहचान चिह्न यदि कोई हो————————————

——————————से ——————————

——————————से होकर/वाया/परिवहन किये गये ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम 1977 के अध्याय 2 के नियम 3 से नियम 14 तक पढ़ लिये हैं। और यह कि :—

1. (परेषक)—के अनुरोध पर मैंने उपर्युक्त कुत्तों/बिल्लियों की परिवहन से अधिक से अधिक 12 घण्टे पहले, उनके यात्रा पिंजरों में में जांच कर ली है।

2. प्रत्येक कुत्ते/बिल्ली का स्वास्थ्य ठीक लगा और पर कोई चोट के चिह्न और रैबीज रोग सहित संक्रामक और छूत रोग के कोई चिह्न नहीं दिखाई दिये तथा रेल/सड़क अन्तर्देशी जलमार्ग/समुद्र/वायुमार्ग से यात्रा करने की दशा में थे।

3. यात्रा के प्रयोजनार्थ कुत्तों/बिल्लियों को पर्याप्त भोजन और पानी दे दिया गया था।

4. कुत्तों/बिल्लियों को टीके लगा दिये गये हैं।

(क) टीके/टीकों की किस्म————

(ख) टीके/टीकों की तारीख

हस्ताक्षर ————

पता ————

————

तारीख———— अर्हतायें ————

2 अनसूची "ख"

(नियम 11 देखिए)

कुत्तों के परिवहन के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार

पशु परिवहन नियम 1977 के अध्याय 2 के नियम 11 में उल्लिखित पिंजरे का डिज़ाइन भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित किए गए आई० एस० 4746-1968 के पृष्ठ 7 पर मुद्रित डिज़ाइन के अनुसार होगा।

सभी परिमाप सेंटी० मीटरों में

	रेल/सड़क/अन्तदेशी/ जलमार्ग समुद्र द्वारा	वायु मार्ग द्वारा
लम्बाई (एल०)	ए० 1-112	ए०+सी०+10
चौड़ाई (डब्ल्यू०)	ए०	डी० 2 10
ऊंचाई (एच०)	बी०+15	बी०+10

लम्बाई—नाक के सिरे से पूंछ की जड़ तक (ए०)

चौड़ाई—चौड़ाई कन्धों के आर-पार (डी०)

ऊंचाई—जब खड़े हों तब कानों के सिरे से खुर तक (बी०)

कोहनी का आकार खुर के अगले भाग से कोहनी के सिरे तक (सी०)

टिप्पणी :—कुत्तों के परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पिंजरे कार्टन या क्रेट ऐसी सामग्री के होंगे जो न तो फटे और न टूटे। वे अच्छी तरह से बने हुए होंगे भली भांति संवातित होंगे और उनका डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि पर्याप्त स्थान और सुरक्षा की व्यवस्था करके कुत्तों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। यह आवश्यक है कि जाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें नाक और पंजे न फसें। उचित सामग्री एक ऐसी जोड़ी हुई जाली होती है जो कम से कम 3 मिलीमीटर की हो और जिसमें बीच की जगह 12–12 मिलीमीटर की हो। इस कार्य के लिए बरफी जाली और तार का जाल अनुपयुक्त है। तार ऐसे होने चाहिए कि उनमें न तो कीलें निकली हुई हों और न उनके किनारे असुरक्षित हों। रेल की कोचों में कुत्ता-घर इस प्रकार रखे गए होंगे कि तापक्रम की कठोरता एवं पक्षियों के उत्पात से उनकी सुरक्षा हो और उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध किया जा सके।

3 अनसूची "ग"

(नियम 11 देखिए)

बिल्लियों के परिवहन के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार

पशु परिवहन नियम 1978 के अध्याय 2 के नियम 11 के उल्लिखित पिंजरे का डिज़ाइन भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित किए गए और आई० एस० 4746-1968 के पृष्ठ 8 पर मुद्रित डिजाइन के अनुसार होगा।

सब परिमाप सेंटी० मीटर में

	रेल/सड़क/अन्तर्देशी/जल मार्ग समुद्र द्वारा	वायुमार्ग द्वारा
लम्बाई (एल०)	ए० 2	ए० 2
चौड़ाई (डब्ल्यू०)	ए०	ए०
ऊंचाई (एच०)	बी०+15	बी०+10

लम्बाई—नाक के सिरे से पूंछ की जड़ तक (ए०)

चौड़ाई—कन्धों के आर पर चौड़ाई (डी०)

ऊंचाई—जब खड़े हों तब कानों के सिरे से खुर तक (सी०)

कोहनी का आकार खुर के अगले भाग से कोहनी के सिरे तक (सी०)

टिप्पणी :—बिल्लियों के परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पिंजरे कोटन या क्रेट ऐसी सामग्री के होंगे जो न तो फटे और न टूटे। वे अच्छी तरह से बने हुए होंगे, भली भांति संचालित होंगे और उनका डिजाइन ऐसा होगा जिसमें कि पर्याप्त स्थान और सुरक्षा की व्यवस्था करके बिल्लियों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। यह आवश्यक है कि जाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें नाक और पंजे न फंसें। उचित सामग्री एक ऐसी जोड़ी हुई जाली होती है जो कम से कम 3 मिलीमीटर की हो और जिसमें बीच की जगह 12–12 मिलीमीटर की हो। इस कार्य के लिए बरफी जाली और तार की जाली अनुपयुक्त है। तार ऐसे होने चाहिए कि उनमें न कीलें निकली हुई हों और न उनके किनारे असुरक्षित हों। रेल की कोचों में बिल्ली घर इस प्रकार रखे गए होंगे कि बिल्लियों के तापक्रम की कठोरता एवं पक्षियों के उत्पात से उनकी सुरक्षा हो और उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध किया जा सके।

अनुसूची "घ"

(नियम 16 और 32 देखिए)

बन्दरों की यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारुप

यह प्रमाण पत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर अर्हित पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

जांच की तारीख तथा समय ————

बन्दरों की जाति : ————

पिंजरों की संख्या ———— बन्दरों की संख्या ————

लिंग ———— आयु ————

नस्ल तथा पहचान चिन्ह, यदि कोई हो ————

————से————तक,————से होकर (वाया) परिवहन किए गए।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 3 के नियम 15 से नियम 45 तक पढ़ लिए हैं, और यह कि :—

1. परेषक————के अनुसार पर मैंने उपरिवर्णित बन्दरों की, परिवहन में अधिक से अधिक 12 घंटे पहले उनके यात्रा पिंजरों में जांच कर ली है।

2. प्रत्येक बन्दर पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल शीर्ष/निकटतम रेल शीर्ष से लेकर दूसरे रेल शीर्ष/रेल शीर्ष से निकटतम/हवाई अड्डे तक/वायुमार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए ठीक दशा में है और इन पर संक्रामक तथा छूत के रोगों के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं ।

3. कोई भी बन्दर 6 महीने से कम का नहीं लगा और न ही यह लगा कि किसी को कोई गर्भ है ।

4. बन्दरों की यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी दे दिया गया था ।

5. बन्दरों को टीके लगाये गये है :

(क) टीके / टीकों की किस्म

(ख) टीके / टीकों की तारीख

हस्ताक्षर ----------

पता ----------

अर्हताएं ----------

तारीख----------

अनसूची "ङ"

[नियम 23(5) (क) और नियम 23(6) (देखिए]

बन्दर पकड़ने के क्षेत्र से निकटस्थ रेल शीर्ष तक उन के परिवहन के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार

पशु परिवहन नियम, 1977 के अध्याय 3 के नियम 22 (5) (क) तथा (ख) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा, भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आई० एस० 3699 (भाग-1) 1966 के पृष्ठ 5 पर मुद्रित परिमाण डिजाइन के अनुसार होगा ।

अनसूची "च"

[नियम 40 (4) देखिए]

वायु मार्ग द्वारा बन्दरों के परिवहन के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार

पशु परिवहन नियम, 1977 के अध्याय 3 के नियम 40 (2) (क) तथा (ख) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा, भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आई० एस० 3059-1965 के पृष्ठ 6 पर मुद्रित परिमाप और डिजाइन के अनुसार होगा ।

7 अनसूची "क"

[नियम 40 (5) देखिए]

गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्दरियों तथा 5 कि० ग्रा० से अधिक भार के बन्दरों के वायु मार्ग द्वारा परिवहन करने के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार

पशु परिवहन नियम, 1977 के अध्याय 3 के नियम 40 (5) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा, भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आई० एस० 3059-1965 के पृष्ठ 7 पर मुद्रित परिमाप और डिजाइन के अनसार होगा ।

8 अनुसुची "ब"

(नियम 47 देखिए)

गोपशुओं की यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबधी प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाण पत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर अर्हित पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिएं ।

जांच की तारीख और समय ----------

पशुओं की किस्म ----------

ट्रकों / रेल वेगनों के नम्बर ----------पशुओं की संख्या ----------

लिंग ----------आयु ----------

नस्ल तथा पहचान चिन्ह (यदि कोई हो) ----------

----------से----------तक----------से होकर (वाया) परिवहन किए गए ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन 1977 के अध्याय 4 के नियम 46 से 56 तक पढ़ लिये हैं ।

1 परेषक----------के अनुसार पर मैंने उपरोक्त पशुओं की परिवहन से 12 घंटे पहले माल के वेगन या गाड़ी में उनकी जांच की है ।

2 प्रत्येक पशु सड़क / रेल द्वारा यात्रा करने की स्थिति में है तथा वह संक्रामक तथा छूत तथा परजीवी के रोगों से मुक्त दिखाई देता है । तथा उसे पशुप्लेग तथा अन्य संक्रामक व छूत व परजीवी रोग (रोगों) के टीके लग चके हैं ।

3 पशुओं को यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी दिया गया है ।

4 पशु को टीके लगाए जा चुके हैं ।

(क) टीकों की किस्म :

(ख) टीके लगाने की तारीख ।

हस्ताक्षर ----------

पता ----------

अर्हताएं ----------

तारीख----------

9 अनुसूची "झ"

(नियम 58 देखिए)

घोड़ों की यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाण पत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर अर्हित पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिएं ।

जांच की तारीख तथा समय ----------

घोड़े की नस्ल ----------

घोड़ों की संख्या ----------

लिंग----------आयु----------

नस्ल तथा पहचान चिन्ह, यदि कोई हो, ----------

----------से----------तक----------से होकर (वाया) परिवहन किये गये ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम 1978 के अध्याय 5 के नियम 57 से नियम 63 तक को पढ़ लिया है ।

1 परेषक----------के अनुरोध पर मैंने उपरोक्त घोड़ों की परिवहन से 12 घंटे पहले जांच की है ।

2. प्रत्येक घोड़ा सड़क / रेल / समुद्र द्वारा यात्रा करने की स्थिति में है तथा उस पर संक्रामक तथा छूत रोगों का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता तथा उसे अन्य संक्रामक व छूत रोग (रोगों) के टीके लगाए जा चुके हैं ।

3 घोड़ों की यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी दे दिया गया है ।

4 घोड़ों को टीके लगाए जा चुके हैं :—

(क) टीके (टीकों) की किस्म :

(ख) टीके लगाने की तारीख :

हस्ताक्षर ----------

पता ----------

अर्हताएं ----------

तारीख----------

10 अनुसूची क

(नियम 65 देखिए)

भेड़ और बकरियों की यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी

प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाण पत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर अर्हित पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिएं ।

जांच की तारीख तथा समय——————

पशु की जाति——————

पशुओं के संख्या——————

लिंग——————आयु——————

नस्ल तथा पहचान चिन्ह, यदि कोई हो——————

——————से——————तक——————से होकर (वाया) परिवहन किये गये ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम 1978 के अध्याय 6 के नियम 64 से नियम 75 तक को पढ़ लिया है ।

1 परेषक——————के अनुरोध पर मैंने उपरोक्त पशुओं के परिवहन से 12 घंटे पहले उनकी जांच की है ।

2 प्रत्येक पशु सड़क / रेल द्वारा यात्रा करने की स्थिति में है तथा उस पर संक्रामक अथवा छूत तथा परजीवी रोग (रोगों) के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते तथा उसे संक्रामक व छूत के टीके लगाए जा चुके हैं ।

3. पशुओं की यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी दे दिया गया है ।

4. पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं :—

(क) टीके (टीकों) की किस्म——————

(ख) टीके लगाने की तारीख——————

हस्ताक्षर——————

पता——————

——————

अर्हताएं——————

तारीख——————

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 1978

स० 14-21/76 एल० डी०-1—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (के) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियमों को बनाती है :,

1. जो अपेक्षितानुसार उक्त धारा द्वारा पहले प्रकाशित होते रहे हैं : अर्थात् :

पशु क्रूरता निवारण (जुर्मानों का उपयोग) नियम, 1978 :

1 संक्षिप्त नाम : इन नियमों का नाम पशुक्रूरता निवारण (जुर्माने का उपयोग नियम, 1978 है ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है : —

(ख) 'बोर्ड' से अधिनियम के अधीन स्थापित पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) 'जुर्माना' से अधिनियम के अधीन उद्गृहीत जुर्माना अभिप्रेत है ।

3. जुर्मानों की राशि को, वसूली के खर्च काटने के पश्चात् बोर्ड को सभावना सौंपना : अधिनियम के अन्तर्गत उद्गृहीत तथा वसूल की गई जुर्माने की समस्त धनराशि, उसे वसूल करने में हुए खर्च सम्बन्धी कटौतियां करके, इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किए गए समस्त विनियोजन के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौंप दी जाएगी ।

(1) बोर्ड को सौंपी गई जुर्माने को राशि का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपी गई जुर्माने की धनराशि केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात् :—

(1) पशुक्रूरता निवारण का कार्य करने वाली सोसाईटियों अथवा पशुकल्याण कार्य में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले संगठनों को, जो फिलहाल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हों, वित्तीय सहायता देना ।

(2) रुग्णावासों, पिंजरापोलों तथा पशु चिकित्सा अस्पतालों का रख रखाव ।

(2) एक राज्य में वसूली की गई तथा बोर्ड को सौंपी गई जुर्माने की धनराशि उस राज्य को अधिकारिता के भीतर आने वाली ऐसी सोसाइटियों अथवा अन्य संगठनों के लाभ के लिए ही उपयोग में लाई जाएगी : न कि अन्यथा ।

5. जुर्मानों की धनराशि के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्त किसी राज्य की सोसाइटियों या अन्य संगठनों के लाभ के लिए जुर्माने की राशि का उपयोग करने में बोर्ड निम्नलिखित सिद्धान्तों को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

1. वित्तीय सहायता पहले उन सोसाइटियों को दी जाएगी जो राज्य की अधिकारिता के भीतर पशु-क्रूरता निवारण के कार्य में लगी हुई हैं और फिलहाल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं :—

2 ऐसी सोसाइटियों को वित्तीय सहायता मंजूर करते समय उस धनराशि को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा जो ये सोसाइटियां इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले राज्य सरकार से प्राप्त कर रही थी । इसके साथ साथ बोर्ड के पास रखी जुर्माने रखी जुर्माने की धनराशि, तथा सम्बंधित सोसाइटियों के राजस्वों और उन उद्देश्यों, जिनके लिए सहायता दी जानी है, तथा अन्य सम्बंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा कि ऐसी सोसाइटियों को जितनी धनराशि पहले मिलती रही है, वह कम न होने पाए ।

3 यदि इस नियम में पहले निदिष्ट सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देने के बाद बिना खर्च की हुई कोई राशि बकाया रह जाती है तो बोर्ड, रुग्णावासों, पिंजरापोलों और पशु चिकित्सा अस्पतालों सहित, पशु कल्याण कार्य में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले किसी अन्य संगठन के लाभ हेतु उस धनराशि को स्वविवेकानुसार इस्तेमाल कर सकता है ।

बी० बी० कपूर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 1978

सं० जं० 12011/1/76-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०)—कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) संकल्प सं० 5-21/59-एफ-2 दिनांक 22 नवम्बर, 1976 जिसका समय समय पर संशोधन होता रहा है, द्वारा गठित दिल्ली चिड़ियाघर परिषद् नई दिल्ली तथा इसकी उप-समितियों को एतद्द्वारा भंग किया जाता है।

ए० डी० जमाल संयुक्त सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1978

सं० पी० टी० एच०-4/77—नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) संकल्प सं० 20-पी० जी० बी० (25)/73/पी० टी०, दिनांक 27 सितम्बर, 1974 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है कि राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाय :—

अध्यक्ष

1. नौवहन और परिवहन मंत्री,
भारत सरकार।

सदस्य

1. पत्तन प्रभारी मंत्री,
आंध्र प्रदेश सरकार।

2. पत्तन, मत्स्य और अल्प बचत मंत्री
गुजरात सरकार।

3. विश्वविद्यालय शिक्षा श्रम और पत्तन मंत्री
कर्नाटक सरकार।

4. गृह मंत्री,
केरल सरकार।

5. विधि और न्याय, मत्स्य, खार भूमि
पत्तन और अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्री
महाराष्ट्र सरकार।

6. वाणिज्य मंत्री
उड़ीसा सरकार।

7. परिवहन मंत्री,
तमिलनाडु सरकार।

8. सिंचाई और जलमार्ग विभाग के प्रभारी मंत्री
पश्चिम बंगाल सरकार

9. पत्तन प्रभारी मंत्री,
पांडिचेरी सरकार।

10. सचिव, उद्योग और श्रम,
गोआ दमन और दीयू सरकार।

11. मुख्य आयुक्त,
अण्डमान और निकोबार प्रशासन या उसके मनोनीत व्यक्ति।

12. रिक्त (राज्य सभा के सदस्य द्वारा भरा जाएगा)।

13. श्री पवित्र मोहन प्रधान, सदस्य, लोक सभा।

14. श्री आर० वेंकटारमन, सदस्य, लोक सभा।

15. श्री विनोद भाई बी० सेठ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड।

16. कैप्टन जे० एम० आनन्द, मुख्य कार्मकारी, इंडिया स्टीमशिप कं० लि० इंडिया स्टीमशिप हाउस 21 ओल्ड कोर्ट हाउस कलकत्ता-1। — भारतीय राष्ट्रीय पोत-वाणिक संघ बंबई का प्रतिनिधि।

17. श्री के० एम० जी० रजा नरीक — फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री नई दिल्ली का प्रतिनिधि।

18. श्री डी० एम० पारिख, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पाल जहाज संघ, बम्बई। — पाल जहाजों के हितों के प्रतिनिधि।

19. श्री मोहन नायर, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय पत्तन और गोदीकर्मकार महासंघ (आई० एनटीयूसी), वास्कोडिगामा, गोवा। — श्रम प्रतिनिधि।

20. श्री टी० एम० आबू, अध्यक्ष कोचीन पत्तन कार्गो श्रम यूनियन, ईरावेली जंक्शन कोचीन-682001। — श्रम प्रतिनिधि।

21. श्री बसन्त गुप्ते, सचिव, हिन्द मजदूर सभा, बम्बई। — श्रम प्रतिनिधि।

22. मोहम्मद ईस्माइल, अध्यक्ष, भारतीय जल परिवहन कर्मकारी महा संघ, 4, राम कमल स्ट्रीट, कलकत्ता-700023। — श्रम प्रतिनिधि

23. सचिव, भारत सरकार,
वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

24. सचिव, भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय, या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

25. सचिव, भारत सरकार,
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (पैट्रोलियम विभाग), या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

26. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय,, या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

27. मुख्य (परिवहन और संचार), योजना आयोग, नई दिल्ली।

28. संयुक्त सचिव (पत्तन), नौवहन और परिवहन मंत्रालय सदस्य सचिव के रूप में।

29. नौवहन महानिदेशक बम्बई।

30. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

वीरेन्द्र राज मेहता, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1977

No. 29-Pres/78.—The President is pleased to approve the award of the "VAYU SENA MEDAL"/"AIR FORCE MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. WING COMMANDER BIR INDER SINGH (5040), FLYING (PILOT).

Wing Commander Bir Inder Singh took over command of a fighter squadron in July 1974. He has flown over 4000 hours and has participated, with distinction, in the Indo-Pak Conflicts of 1965 and 1971. Due to his personal attention Wing Commander Bir Inder Singh has maintained an excellent flight safety record over the past two years. During the Inter-Squadron Gunnery Meet, 1975, his Squadron was the best Squadron in front-gun firing and bombing. When the squadron was required to operate a detachment of aircraft from a transport base, Wing Commander Bir Inder Singh undertook and executed this task effectively. Wing Commander Bir Inder Singh has displayed courage, professional skill and devotion to duty of a high order.

2. SQUADRON LEADER SUDESH CHAND KHULLER (5605). FLYING (PILOT)

Squadron Leader Sudesh Chand Khuller has been a member of a front-line jet fighter squadron since September, 1973. During this period, he has flown 464 hours. Being an experienced QFI, he was largey responsible for the training of young pilots with the result that the squadron now has a high proportion of operationally prepared pilots and the entire squadron holds current instrument ratings. During the tenure of Squadron Leader Sudesh Chand Khuller, the squadron operated five detachments and, every time, planned tasks were completed without untoward incident. Squadron Leader Khuller has so far flown 4000 hours on single-engined aircraft of which 1636 hours have been devoted to the training of ab-initio pilots.

Squadron Leader Sudesh Chand Khuller displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

3. SQUADRON LEADER SHASHI DHARAN PANICKER (6761) FLYING (PILOT)

Squadron Leader Shashi Dharan Panicker has been with the Paratroopers Training School as a Staff Instructor since June, 1971. He is presently holding a Master Green category on Packet aircraft with a Command examiners ticket. His professional competence is evident from the manner in which he has handled flight emergencies. On one such occasion on 31st December, 1974, while on a mission to airlift 20 passengers and 2000 Kgs of service load, he encountered a perilous situation of a run away propeller during the crucial stages of the take off, which caused the aircraft to swerve violently, a few feet above the ground. Maintaining his composure and with his skill Squadron Leader Panicker brought the aircraft under control and warded off what might have been a serious accident. Squadron Leader Panicker is an instructor of considerable experience. He has flown 1450 instructional hours out of total flying record of 5350 hours.

Squadron Leader Shashi Dharan Panicker has displayed courage, professional competence and devotion to duty of a high order.

4. SQUADRON LEADER CHETAN SWAROOP KATARIA (7605) FLYING (PILOT)

Squadron Leader Chetan Swaroop Kataria has been the Officer Commanding of a VIP Communication Helicopter Unit since May, 1974. He has a total of 3300 hours of accident free flying to his credit and has been responsible for the training of many new pilots and in improving the categorisation state of his unit to a very high operational standard. He not only discharged his duties well out also undertook numerous mercy missions and flood relief operations in Punjab and Rajasthan in 1975. Because of his exceptional organisational ability, guidance and devoted supervision, the unit flew 3600 accident free hours within a period of 19 months. He successfully organised the development of a battery-operated portable refuelling rig for Chetak helicopter, on no cost basis, in his unit, which is a creditable achievement.

On 16 October 1975, Squadron Leader Kataria, while on a night training flight noticed that his helicopter had developed engine trouble due to material failure, with total loss of engine torque and heavy reduction in the rotor RPM. He faced the hazardous situation calmly and landed safely without any damage to the helicopter.

Squadron Leader Chetan Swaroop Kataria has displayed courage, high professional skill and devotion to duty of a high order.

5. SQUADRON LEADER VIJAY KUMAR MOHOTRA (8441) FLYING (PILOT).

Squadron Leader Vijay Kumar Mohotra was commissioned in the Indian Air Force in April, 1964. He has a total of 3010 hours of accident free flying to his credit of which 2218 are on helicopters. Since December, 1975, he has been commanding a Helicopter Unit.

On 23rd May, 1976, Squadron Leader Mohotra undertook the evacuation of a seriously injured mountaineer from the Trishul Base Camp located at a height of 15,300 feet. The helipad constructed there by the team of mountaineers was totally unsuitable for the safe landing of helicopter. Realising the urgency of the mission, Squadron Leader Mohotra carried out a detailed reconnaissance of the area and expertly judged that a landing could be carried out if one of the camp tents was removed and the area made available for the landing. This was indicated to the mountaineers and the tent was removed. Thereafter, Squadron Leader Mohotra landed his helicopter safely and carried out the assigned task.

On 26th May, 1976, after having completed a long and arduous sortie, Squadron Leader Mohotra was once again called upon to carry out the evacuation of seriously injured civilians from a remote area in the close vicinity of the Northern Border. He set off immediately with two other helicopters to a helipad nearest to where the casualties were. In the meantime, as immediate medical assistance was indicated and helicopter rescue facilities were not expected, the casualties were being moved by stretcher-bearers along a difficult and narrow mountain path. Realising the urgency to evacuate the casualties to better equipped hospital, Squadron Leader Mohotra immediately set about organising rescue operations of injured on the move. He landed his helicopter in turbulent and gusty weather conditions in a boulder strewn dry river bed. His outstanding performance in this operation inspired his formation pilots.

Throughout Squadron Leader Vijay Kumar Mohotra displayed courage, flying skill and devotion to duty of a high order.

6. SQUADRON LEADER BHANWAR SINGH RATHORE (8687) FLYING (PILOT)

Squadron Leader Bhanwar Singh Rathore was commissioned in the Indian Air Force in August, 1964. He has an impressive total of 5600 flying hours, flying as many as 650 hours in one year alone. During his present tenure with the Air Headquarters Communication Squadron, he has flown 2000 hours, mostly on VIP tasks. He holds the highest category and Instrument Rating on HS-748 aircraft. He has had three engine failures on Devon aircraft. In all the three cases, squadron Leader Rathore executed a safe landing with admirable courage and flying skill. During the 1971 operations Squadron Leader Rathore flew day and night to supply troops in the Eastern Sector. He put in 200 flying hours, making a significant contribution to the war effort.

Squadron Leader Bhanwar Singh Rathore displayed courage, high professional skill and devotion to duty of a high order.

K. C. MADAPPA, Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 12th May 1978

No. 4/1/78/PAC.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 1979 :

Members of Lok Sabha

1. Shri Halimuddin Ahmed
2. Shri Balak Ram
3. Shri Brij Raj Singh

4. Shri C. K. Chandrappan
5. Shri Asoke Krishna Dutt
6. Shri K. Gopal
7. Shri Kanwar Lal Gupta
8. Shri Vijay Kumar Malhotra
9. Shri B. P. Mandal
10. Shri R. K. Mhalgi
11. Dr. Laxminarayan Pandeya
12 Shri Gauri Shankar Rai
13 Shri P. V. Narasimha Rao
14. Shri M. Satyanarayan Rao
15. Shri Vasant Sathe

Members of Rajya Sabha

16. Shri Devendra Nath Dwivedi
17. Shri M. Kadershah
18. Shri Sita Ram Kesri
19. Dr. Bhai Mahavir
20. Smt. Leela Lamodaran Menon
21 Shri B. Satyanarayan Reddy
22. Shri Gian Chand Totu.

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri P. V. Narasimha Rao as Chairman of the Committee.

H. G. PARANJPE Chief Financial Committee Officer

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 12th May 1978

No. 4/1/EC/77.—The following Members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 1978 and ending on the 30th April 1979 :—

1. Shri V. Arunachalam
2. Shri Yeshwant Borole
3. Shri Dilip Chakravarty
4. Shri K. S. Chavda
5. Shri Tulsidas Dasappa
6. Shrimati Mrinal Gore
7. Shri S. Nanjesha Gowda
8. Shrimati V. Jeyalakshmi
9. Shri Sarat Kar
10. Shri Basant Singh Khalsa
11. Shri Nihar Laskar
12. Shri Mahi Lal
13. Shri Mukhtiar Singh Malik
14. Shri Mrityunjay Prasad
15. Shri Amrit Nahata
16. Shri M. N. Govindan Nair
17. Shri D. B. Patil
18. Shri S. B. Patil
19. Shri Mohd. Shafi Qureshi
20. Shri K. Vijaya Bhaskara Reddy
21. Dr. Saradish Roy
22. Shri N. K. Shejwalkar
23 Shri Annasaheb P. Shinde
24. Shri Ganga Bhakt Singh
25. Shri Satyendra Narayan Sinha
26. Shri Ugrasen
27. Shri K. P. Unnikrishnan
28. Shri Shankershinghji Vaghela
29. Shri Roop Nath Singh Yadav
30. Shri Vinayak Prasad Yadav.

The Speaker has been pleased to appoint Shri Satyendra Narayan Sinha as the Chairman of the Committee.

K. S. BHALLA, Chief Financial Committee Officer

New Delhi-110001, the 12th May 1978

No. 3/1/SCTC/78.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have ben elected to serve as members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April, 1979 :

Members—Lok Sabha

1. Shri T. Balakrishnaiah
2. Shri B. Bhanwar
3. Shri Bharat Singh Chowhan
4. Shri Somjibhai Damor
5. Shri Biren Singh Engti
6 .Shri Hukam Ram
7. Shri Hukam Chand Kachwai
8. Shri B. C. Kamble
9. Shri Rama Chandra Mallick
10. Shri Charan Narzary
11. Shri Nathuni Ram
12. Shri Natverlal B. Parmar
13. Shri K. Pradhani
14. Shri B. Rachiah
15. Shri Ram Charan
16. Shri Ram Dhan
17. Shri Amar Roypradhan
18. Shri Purnanarayan Sinha
19. Shri Suraj Bhan
20. Shri Bhausaheb Thorat

Members—Rajya Sabha

21. Shri Bhagwan Din
22. Shri Prasenjit Barman
23. Shri Balram Das
24. Shri Sriman Prafulla Goswami
25. Shrimati Saroj Khaparde
26. Shri S. Kumaran
27. Shri P. K. Kunjachen
28. Dr. (Smt.) Sathiavan. Muthu
29. Shri Leonard Soloman Saring
30. Shri Parbhu Singh

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri Ram Dhan as the Chairman of the Committee.

Y. SAHAI, Chief Legislative Committee Officer

(P.U. BRANCH)

New Delhi-110001, the 12th May 1978

No. 4(1)-PU/78.—The following members of Lak Sabha and Rajya Sabha have been declared as duty elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending 30th April, 1979 :—

Members of Lok Sabha

1. Shri O. V. Alagesan
2. Shri Maganti Ankineedu
3. Shri Jyotirmoy Bosu
4. Shrimati Chandravati
5. Shri Tridib Chaudhuri
6. Shri Hitendra Desai
7. Shri Anant Ram Jaiswal
8. Shri L. L. Kapoor

Members of Lok Sabha—Contd.

9. Shri K. Lakkappa
10. Shri Dharamsinhbhai Patel
11. Shri Raghavji
12. Shri Padmacharan Samantasinhar
13. Shri Bhanu Kumar Shastri
14. Dr. Subramaniam Swamy
15. Shri Madhav Prasad Tripathi

Members of Rajya Sabha

1. Shri S. W. Dhabe
2. Shri K. N. Dhulap
3. Shri H. B. Mahida
4. Shri Murasoli Maran
5. Shri Deorao Patil
6. Shri Era Sezhiyan
7. Shri Viren J. Shah

The Speaker has been pleased to appoint Shri Jyotirmoy Bosu as Chairman of the Committee.

T. N. KHANNA
Senior Financial Committee Officer

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 2nd May 1978

ORDER

No. 27/26/78-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri S. B. Mathur, Joint Director, Inspection in the office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta, for the purpose of the said section 209A.

2. The Central Government hereby revokes the authorisation issued in favour of Shri S. B. Mathur Deputy Director (Accounts) vide the Department's Order No. 27/5/76-CL.II dated 7-6-76.

N. L. PILLAY, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 28th April 1978

RESOLUTION

No. 17(221)/73-HEM.—The Government of India had accorded approval to the setting up of a Welding Research Institute by Bharat Heavy Electricals Ltd., at Tiruchy, with support from UNIDO. It has been fully equipped with training facilities and practical work can be carried out on most of the aspects of welding. Modern teaching facilities through films, close circuit television, automatic slide projections etc., have been made available as aids to the teaching. It has set up consultancy services division, documentation service and technology development. The Institute would have a national character. In order to give effect to this concept, Government have set up an apex Advisory Committee to oversee and co-ordinate the functions of the Institute with following terms of reference :—

1. To review the objectives of the Welding Research Institute and update the same from time to time;
2. To review the programmes taken up by the Institute and advise on the future programme;
3. To advise the Research Institute on all matters connected with its efficient performance;
4. To ensure that the interaction between the Institute and other Research Institutes are maintained at a high level and that the technological gaps and specific problems of Industries are serviced.

2. The Advisory Committee will consist of :—

(1) Shri V. Krishnamurthy,
Secretary,
Department of Heavy Industry,
New Delhi.

(2) Brig. B. J. Shahaney,
Secretary (Technical Development),
D.G.T.D., New Delhi.

(3) Dr. A. Ramachandran,
Secretary,
Department of Science & Technology,
New Delhi.

(4) Shri S C Dey,
Technical Adviser (Boilers),
Department of Industrial Development,
New Delhi

(5) Dr. A. K. Gupta,
Director-General,
Indian Standards Institution,
New Delhi.

(6) Dr. M. R. Srinivasan,
Director,
Power Projects Engineering Division,
Department of Atomic Energy,
Bombay.

(7) Shri Naresh Chandra,
Joint Secretary,
Department of Heavy Industry,
Ministry of Industry.
New Delhi.

(8) Shri O. S. S. Rao,
Chairman & Managing Director,
Bharat Heavy Plates & Vessels Ltd.,
Visakhapatnam.

(9) Shri S. V. Nadkarni,
Chief Technical Executive,
Advani Oerlikon Limited.,
Bombay.

(10) Shri N. S. Seshadri,
Production Manager,
Larsen & Toubro Limited.,
Bombay.

(11) Mr. Roger Polger,
Resident Representative
United Nations Development Programme
New Delhi.

(12) Shri L M Pasricha,
President
Indian Institute of Welding
48/1 Diamond Harbour Road,
Calcutta 700 027.

(13) Dr. S. Ramachandran,
Director (R&D).
Hindustan Steel Limited.,
Ranchi.

(14) Dr. H. N. Sharan,
Director (Engineering),
Bharat Heavy Electrical Ltd.
New Delhi.

(15) Shri V. R. Deenadayalu,
Executive Director & Group
General Manager,
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
Tiruchirapalli.

(16) Shri R. Krishnamurthy,
Project Coordinator,
Welding Research Institute,
Tiruchirapalli.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the members of the Advisory Committee.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

NARESH CHANDRA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the May 1978

CORRIGENDUM

No. 16/3/77-Jute.—In First Schedule of this Ministry's Resolution No. 16/3/77-Jute of the 7th April, 1978, published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1, of the 7th April, 1978, the following amendments may be incorporated :—

(1) In the heading of Columns 3 and 4, the words "in Rupees" be inserted in between the words "Maximum Ex-factory Price" and "per 100 bags";

(2) In Column 2 against S. No. 1, for the digits "5x8" occurring after the words and digits "Standard B. Twill bags of the size 43½" x 26½", WIP 44" x 26½" HD 2¼ lbs. per bag", the digits "6 x 8" may be substituted; and

(3) In Column 4 against S. No. 3, for the price "336.82" for the month of December, 1974, "336.32" may be substituted.

S. DAVE, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 8th May 1978

RESOLUTION

No. V.17020/25/77-M.E.(PG).—In pursuance of Resolution No. V.17020/25/77-M.E.(PG), dated the 13th May, 1977, the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare appointed a One-man-Commission consisting of Dr. K. Nagappa Alva to inquire into and report on various matters as set out in the terms of reference specified in the said Resolution and the Commission was to submit its report to the Central Government not later than the 30th September, 1977.

In pursuance of Resolution No. V.17020/25/77-M.E.(PG), dated the 30th September, 19th December, 1977, 18th January and 9th February, 1978, the term of the Commission was extended till the 28th February, 1978. The Government of India have decided that the Commission shall submit its report to the Central Government not later than the 31st May, 1978.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

New Delhi, the 28th April 1978

No. Z.28015/118/77-H(Pt.).—It has been decided to re-name the Willingdon Hospital and Nursing Home and the Lady Hardinge Hospital as under, with immediate effect.

Old name	*New name*
1. Willingdon Hospital & Nursing Home, New Delhi.	Dr. Ram Manohar Lohia Hospital & Nursing Home, New Delhi.
2. Lady Hardinge Hospital, New Delhi.	Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi.

R. K. JINDAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 15th February 1978

No. 14-21/76-LD.I.—In exercise of the powers conferred by clause (k) of Sub-Section (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by the said section, namely :—

Prevention of Cruelty to Animals (Application of Fines) Rules, 1978.

1. Short title.—These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Application of Fines) Rules, 1978.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) 'Act' means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(b) 'Board' means the Animal Welfare Board established under the Act;

(c) 'fines' means fines levied under the Act.

3. Fines, after deducting cost of collection, to be made over to Board :—(1) fines levied and realised under the Act shall, subject to any deductions relating to the cost of collection, be made over by the State Government to the Board as soon as may be after due appropriation by law (by State Legislature) in this behalf.

4. Application of fines made over to Board.—(1) Fines made over by any State Government to the Board shall be applied exclusively for the following purposes, namely :—

(i) the grant of financial assistance to societies dealing with the Prevention of Cruelty to Animals or organisations actively interested in animal welfare work which are for the time being recognised by the Board;

(ii) the maintenance of infirmaries pinjrapoles and veterinary hospitals.

(2) Fines realised in one State and made over to the Board shall be utilised only for the benefit of such societies or other organisations within the jurisdiction of that State and not otherwise.

5. Principles to govern application of fines.—In applying the fines for the benefit of societies or other organisations in any state, the Board shall have due regard to the following principles; namey :—

(i) financial assistance shall first be given to societies dealing with the prevention of cruelty to animals within the jurisdiction of the State which are for the time being recognised by the Board;

(ii) in granting financial assistance to such societies, due regard shall be had to the amounts they had been receiving from the State Government prior to the coming into force of those rules, and consistently with the amount of fines at its disposal and having regard to the revenues of the societies concerned, the objects for which assistance is to be given and other relevant matters, the Board shall make every endeavour to ensure that there is no diminution in the amounts such societies had been receiving earlier;

(iii) if after the grant of financial assistance to the societies earlier referred to in this rule, there is any unspent balance, it may be applied by the Board at its discretion for the benefit of any other organisation actively interested in animal welfare work including infirmaries, pinjrapoles, and veterinary hospitals.

The 2nd March 1978

No. 18-6/70-LD. I.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-Section (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by the said Section, namely :—

Transport of Animals, Rules, 1978

CHAPTER I

1. *Short title.*—These rules may be called the Transport of Animals, Rules, 1978.

2. *Definition.*—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) qualified veterinary surgeon means one who holds a diploma or a degree of a recognised veterinary college;

(b) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

CHAPTER II

Transport of Dogs and Cats

3. Rules 4 to 14 shall apply to the transport of dogs and cats of all breeds whether by rail, road, inland waterway, sea or air.

4. (a) A valid health certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the dogs and cats are in a fit condition to travel by rail, road, inland waterway, sea or air and are not showing any sign of infectious or contagious disease including rabies, shall accompany each consignment and the certificate shall be in the form specified in Schedule A.

(b) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

5. No dog or cat in an advanced stage of pregnancy shall be transported.

6. (a) Dogs or cats to be transported in the same container shall be of the same species and breed.

(b) Unweaned puppies or kittens shall not be transported with adult dogs or cats other than their dams.

(c) No female dog or cat in season (oestrus) shall be transported with any male.

7. (a) Any dog or cat reported to be vicious or exhibiting a vicious disposition shall be transported individually in a cage, muzzled and labelled to give warning to the handlers.

(b) In extreme cases, the dogs or cats shall be administered with sedative drugs by a qualified veterinary surgeon.

8. (1) When dogs or cats are to be transported for long distance :—

(a) they shall be fed and given water at least two hours prior to their transport and shall not be packed for transport if they are hungry or thirsty;

(b) they should be exercised as late as possible before despatch;

(c) they shall be given adequate water for drinking every four hours in summer or every six hours during winter;

(d) they shall be fed once in twelve hours in the case of adult dogs or cats and they shall be fed once in four hours in the case of puppies and kittens in accordance with the instructions of the consigners if any;

(e) adequate arrangements shall be made for their care and management during the journey.

(2) When the dogs or cats are to be transported by rail involving a journey of more than six hours, an attendant shall accompany the dogs or cats to supply them with food and water on the way and the attendant shall have access to the dogs or cats for this purpose at all stations and no dog or cat shall be exposed to the direct blast of air during such journey.

9. Where dogs or cats are to be transported for short distance by road in a public vehicle, the following precautions are to be taken namely :—

(a) they shall be put in a cage and the cage containing the dogs or cats shall not be put on the roof of the vehicle but shall be put inside the vehicle preferably near the rear end of the vehicle;

(b) the vehicle transporting the dogs or cats shall as far as possible maintain constant speed, avoiding sudden stops and reducing effects of shocks and jolts to the minimum;

(c) at least one attendant shall be present at all times during transit who shall ensure that proper transit conditions are observed and shall also replenish food and water whenever necessary.

10. Where dogs or cats are to be transported by air—

(a) the cages shal be properly cleaned and disinfected before the dogs or cats are put in the cages;

(b) sufficient pady straw or saw dust or paper cuttings shall be provided for cats in the cages as resting material;

(c) for international transport, the dogs or cats shall be kept in a pressurized compartment with regulated temperature.

11. The size and type of crates for transport of dogs and cats shall conform as clearly as may be to the size and type specified in Schedule B and Schedule C respectively.

12. All container of dogs or cats shall be cleary labelled showing the names address and telephone number (if any) of the consigner.

13. The consignee shall be informed about the train or transport arrival or flight number and its time of arrival in advance.

14. Consignment of dogs or cats to be transported by rail or road shall be booked by the next passenger or mail train or bus and should not be detained after accepting the consignment for booking.

CHAPTER III

Transport of Monkeys

15. Rules 16 to 23 shall apply to the transport of all types of monkeys from the trapping area to the nearest rail-head.

16. (a) A valid health certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the monkeys are in a fit condition to travel from the trapping area to the nearest unit-head and are not showing any sign of infectious or contagious disease shall accompany each consignment.

(b) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

(c) The certificate shall be in a form specified in Schedule D.

17. (1) Monkeys from one trapping area shall not be allowed to mix with monkeys from any other trapping area for preventing the dangers of cross-infection.

(2) The time in transit from trapping area to the nearest rail-head shall be as short as possible and factors causing stress to monkeys shall be reduced to the minimum.

(3) If the travel time is longer than six hours provision shall be made to feed and to give water to the monkeys on route.

(4) During transit, precautions shall be taken to protect the monkeys from extreme weather conditions and monkeys that die on route shall be removed at the earliest available opportunity.

18. Monkeys that are not completely weaned, that is, under 1.8 Kilogram in weight, shall not be transported except when specifically permitted by the Central Government.

19. (a) Pregnant and nursing monkeys shall not be transported except when specifically permitted by the Central Government.

(b) Pregnant and nursing monkeys as well as monkeys weighing more than 5 Kilograms shall be transported in compartmented cages.

20. All monkeys in the same cage shall be of the same species and of approximately the same weight and size.

21. Monkeys captured within their natural habitat shall be placed in new, sterilized or thoroughly cleaned cages and subsequent transfer, if any, shall also be to new, disinfected or thoroughly cleaned cages.

22. Monkeys shall be transported from trapping area to the nearest rail-head by the fastest means of transport available and the monkeys should not be left unattended at any time during the journey.

23. (1) (a) Monkeys shall be transported in suitable wooden or bamboo cages; so constructed as not to allow the escape of the monkeys but permit sufficient passage of air ventilation.

(b) No nails, metallic projections or sharp edges shall be exposed on the exterior or in the interior of the cages.

(c) Each cage shall be equipped with appropriate water and feed receptables which are leak proof and capable of being cleaned and refilled during transit.

(2) The floor of the cages shall be made of bamboo reapers and the space between each reaper shall range between 20 mm and 30 mm.

(3) To facilitate carriage of these cages, provision may be made for rope loops at the four top ents.

(4) The weight of any one loaded cage shall not exceed 45 kilograms.

(5) The following two sizes of cages shall be used :

(a) 910×760×510 mm—to contain not more than twelve monkeys, weighing between 1.8 and 3.00 Kilograms each or ten monkeys weighing between 3.1 and 5.00 Kilograms each.

(b) 710×710×510 mm—to contain not more than ten monkeys weighing between 1.8 and 3.00 Kilograms each or eight monkeys weighing between 3.1 and 5.00 Kilograms each.

Provided that wooden cages as specified in Schedule E to these rules may also be used for carrying monkeys from the trapping area to the nearest rail-head.

(6) The construction details of two types of cages shall be as given in Schedule B.

24. Rules 25 to 32 shall apply to the transport of monkeys from a rail-head to another rail-head or from a rail-head to the nearest air-port.

25. (a) Loading and unloading shall be carried out quickly and efficiently.

(b) Cages shall be stored in such a manner that ventilation is adequate and the monkeys are not exposed to draught and direct heat or cold.

(c) Monkeys found dead shall be removed as quickly as possible for suitable disposal.

26. The transport cages shall be in accordance with specifications given in rule 28.

27. (1) Due provision shall be made by the sender for a sufficient supply of food and water for the journey.

(2) In case the journey is over six hours an attendant shall accompany the monkeys to supply them food, water, and such other things, on route and he shall have access to the monkeys for feeding, giving water and attention at all stations on route.

(3) The food and water containers shall be checked at least every six hours and refilled, if necessary.

(4) Monkeys shall not be disturbed during the night hours.

28. Not more than one cage shall be placed over the other and gunny sacking shall be placed between two cages, when one is placed over the other.

29. Monkeys shall be brought to the airport sufficiently early.

30. Monkeys shall be provided with food and water immediately before loading on the aircraft.

31. (a) The cages shall be clearly labelled showing the name, address and telephone number (if any) of the consigner and the consignee in bold red letters.

(b) The consignee shall be informed about the train in which the consignment of monkeys is being sent and its arrival time in advance.

(c) The consignment of monkeys to be transported shall be booked by the next passenger or mail train and should not be detained after the consignment is accepted for booking.

32. (a) A valid health certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the monkeys are in a fit conditions to travel from the nearest rail-head to another rail-head or from a rail-head to the nearest airport and are not showing any signs of infectious or contagious disease shall accompany each consignment.

(b) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

(c) The certificate shall be in a form specified in Schedule D.

33. Rules 34 to 45 shall apply in relation to the transport of monkeys by air.

34. The time in transit shall be as short as possible and factors causing stress to monkeys shall be reduced to the minimum.

35. Monkeys that are not a completely weaned, that is, under 1.8 kilograms in weight, shall not be transported except when specifically permitted by the Central Government.

36. Pregnant and nursing monkeys shall not be transported except when specifically permitted by the Central Government. Pregnant and nursing monkeys and monkeys weighing over 5 Kilograms shall be transported in specially designed individual cages.

37. All monkeys in the same cage shall be of the same species and of approximately the same weight and size.

38. (1) In view of the dangers of infection, only monkeys of the same species shall transported in the same cabin or compartment of the aircraft.

(2) Apparently sick or disabled monkeys exhibiting external injuries or infested with parasites shall not be transported.

(3) Transport of other species of animals, birds fish food stuffs or poisonous materials, such as pesticides and insecticides, in the same cabin or compartment shall not be permitted.

39. (1) At no time during transit shall the monkeys be left unattended when carried in a freighter aircraft.

(2) At least one attendant shall be present at all times when the aircraft is on the ground.

40. (1) Monkeys shall be transported in suitable wooden cages, so constructed as not be allowed the escape of the monkeys and shall allow sufficient passage of air for ventilation; no mails, metallic projections or sharp edges shall be exposed in the interior or on the exterior of such cages. Each cage shall be equipped with water and food receptacles which shall be leak-proof and be capable of being cleaned and refilled during transit. A suitable absorbent material such as saw dust shall be kept in the dropping trays.

(2) The weight of any one loaded cage shall not exceed 45 Kilograms in any case.

(3) The following two sizes of cages shall be used :

(a) 460×460×460 mm—to contain not more than ten monkeys weighing from 1.8 to 3.0 kilograms each or four monkeys weighing from 3.1 to 5.0 kilograms each; and

(b) 760×530×460 mm—to contain not more than ten monkeys weighing from 1.8 to 3.0 kilograms each or eight monkeys weighing from 3.1 to 5.0 kilograms each.

(4) The construction details of the two types of cages shall be as given in Schedule F.

(5) The construction details of the two types of cages used for the transport of pregnant and nursing monkeys shall be as given in Schedule G.

41.(a) The cages shall be clearly labelled showing the name, address and telephones number (if any) of the consigner and the consignee in bold red letters.

(b) The consignee shall be informed in advance about the flight number of the freighter aircraft in which the consignment of monkeys is being sent and its arrival time.

(c) The consignment of monkeys to be transported shall be booked by the next flight of the freighter aircraft and should not be detained after the consignment is accepted for booking.

42.(1) A valid health certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the monkeys are fit to travel by air and are not showing any signs of infectious or contagious disease shall accompany each consignment of monkeys.

(2) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for shipment.

(3) The form of a certificate under sub-rule (1) be as given in Schedule—D.

43.(1) The air shall be changed not less than twelve times per hour and draughts shall be avoided and there shall be no dead pockets of air.

(2) Except when the monkeys are being fed and given water, they shall travel in semi-darkness to make them quieter and less inclined to fight thus give them better opportunities of resting.

44. The food and water containers shall be checked at every stop and refilled, if necessary, and a sufficient stock of food shall be available on the aircraft and at likely stopping places.

NOTE : About 85 grams of food per monkey is required daily. suitable foods are dry cereal grains or gram. It is recommended that whole gram made into biscuits or wheat meal breed should be fed. A minimum of 140 ml. of water shall be allowed for each monkey per day.

45. An empty cage of the usual dimensions with its sides covered except 50 mm at the top to allow for ventilation shall be provided in the freighter aircraft for housing the monkeys which fall sick or are injured during the journey.

CHAPTER IV

Transport of Cattle

46. Rules 47 to 56 shall apply to the transport by rail or road of cows, bulls, bullocks, buffaloes, yaks and calves, (hereinafter in these rules referred to as 'Cattle').

47. (a) A valid certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the cattle are in a fit condition to travel by rail or road and are not suffering from any infectious or contagious or parasitic disease and that they have been vaccinated against rinderpest and any other infectious or contagious or parasitic disease or diseases, shall accompany each consignment.

(b) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

(c) The certificate shall be in the form specified in Schedule—E.

48. Veterinary first-aid equipment shall accompany all batches of cattle.

49. (a) Each consignment shall bear a label showing in bold red letters the name, address and telephone number (if any) of the consigner and consignee, the number and types of cattle being transported and quantity of rations and food provided.

(b) The consignee shall be informed about the train or vehicle in which the consignment of cattle is being sent and its arrival time in advance.

(c) The consignment of cattle shall be booked by the next train or vehicle and shall not be detained after the consignment is accepted for booking.

50. The Average space provided per cattle in Railway wagon or vehicle shall not be less than two square metres.

51.(a) Suitable ramps and platforms should be used for loading or unloading cattle from vehicles.

(b) In case of railway wagon the dropped door of the wagon may be used as a ramp when loading or unloading is done to the platform.

52. Cattle shall be loaded after they are properly fed and given water.

53. Cattle in advanced stage of pregnancy shall not be mixed with young cattle in order to avoid stampede during transportation.

54. (1) Watering arrangements en route shall be made and sufficient feed quantities of water shall be carried for emergency.

(2) Sufficient feed and fodder with adequate reserve shall be carried to last during the journey.

(3) Adequate ventilation shall be ensured.

55. When cattle is to be transported by rail;

(a) an ordinary goods wagons shall carry not more than ten adult cattle or fifteen calves on broad guage, not more than six adult cattle or ten calves on metre gauge, or not more than four adult cattle or six calves on narrow gauge;

(b) every wagon carrying cattle shall have at least one attendant;

(c) cattle shall be loaded parallel to the rails, facing each other;

(d) material for padding, such as straw, shall be placed on the floor to avoid injury if a cattle lies down and this shall not be less than 6 cms thick;

(e) rations for the journey shall be carried in the middle of the wagon;

(f) to provide adequate ventilation, upper door of one side of the wagon shall be kept open properly fixed and the upper door of the wagon shall have wire gauge closely welded mesh arrangements to prevent burning cinders from the engines entering the wagon and leading to fire outbreak;

(g) cattle wagons should be attached in the middle of the train;

(h) cooking shall not be allowed in the wagons nor hurricane lamps without chimneys;

(i) two breast bars shall be provided on each side of the wagon, one at a height of 60 to 80 cm and the other at 100 to 110 cm.

(j) Cattle-in-milk shall be milked at least twice a day and the calves shall be given sufficient quantity of milk to drink;

(k) as far as possible, cattle may be moved during the nights only;

(l) during day time, if possible, they should be unloaded, fed, given water and rested and if in milk, milking shall be carried out.

56. When cattle are to be transported by goods vehicle the following precautions are to be taken namely :—

(a) specially fitted goods vehicles with a special type of tailboard and padding around the sides should be used;

(b) Ordinary goods vehicles shall be provided with anti-slippoint material, such as coir matting or wooden board on the floor and the superstructure, if low, should be raised;

(c) no goods vehicle shall carry more than six cattle;

(d) each goods vehicle shall be provided with one attendant;

(e) while transporting the cattle, the goods vehicle shall not be loaded with any other merchandise; and

(f) to prevent cattle being frightened or injured; they should preferably face the engine.

CHAPTER V

Transport of Equines

57. Rules 57 to 63 shall apply to the transport by rail, road or sea of horses; mules and donkeys (hereinafter in these rules referred to as 'equines').

58. (a) A valid certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the equines are in a fit condition to travel by rail, road or sea and are not suffering from any infectious or contagious disease or diseases shall accompany each consignment.

(b) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

(c) The certificates shall be in a form specified in Schedule—I.

59. (a) Each consignment shall bear a label showing in bold red letters the name address and telephone number (if any) of the consignor and consignee, the number and type of equines being transported and quantity of rations and food provided.

(b) The consignee shall be informed in advance about the train or vehicle or ship in which the consignment of equines is being sent and its arrival time.

(c) The consignment of equines shall be booked by the next train or vehicle or ship and shall not be detained after the consignment is accepted for booking.

60. (a) Pregnant and young equines shall not be mixed with other animals.

(b) Different species of equines shall be kept separately.

(c) Equines shall be loaded after being fed and given water adequately, watering arrangements shall be made en route and sufficient food carried to last during the journey.

(d) Veterinary first-aid equipment shall accompany all batches of equines.

(e) Adequate ventilation shall be ensured.

(f) Suitable ramps and platforms, improvised where not available, shall be used for loading and unloading equines.

61. For the transport of equines by rail, the following precautions shall be taken :

(a) Equines shall be transported by passenger or mixed trains only;

(b) ordinary goods wagon when used for transportation shall carry not more than eight to ten horses or ten mules or ten donkeys on broad guage and not more than six horses or eight mules or eight donkeys on metre-gauge;

(c) in extreme hot water shall be sprinkled over the wagons containing equinee by the railway authorities to bring down temperature. Ice slabs in specially made containers may be placed inside the wagon, if recommended by a qualified veterinary surgeon.

(d) every wagon shall have two attendants if the enquines are more than two in number;

(e) equines shall be loaded parallel to the rails, facing each other;

(f) material for padding, such as paddy straw, shall be placed on the floor to avoid injury if an animal lies down and this shall not be less than 6 cm thick;

(g) to provide adequate ventilation, upper door of one side of the wagon shall be kept upon and properly fixed and the upper door of the wagon shall have wire guage closely welded mesh arrangements to prevent burning cinders from the engines entering the wagon and leading to fire break out;

(h) two breast bars shall be provided on each side of the wagon, one at a height of 60 to 80 cm and the other at 100 to 110 cm.

62. For the transport of equines by goods-vehicles, the following precautions shall be taken, namely :—

(a) specially fitted vehicles with a special type of tail board and padding around the sides shall be used;

(b) ordinary goods vehicles shall provided with anti-slipping material on the floor and the super structure, if low, should be raised;

(c) bamboo poles of at least 8 cm diameter between each animal and two stout batons at the back shall be provided to prevent the animal from falling;

(d) to prevent horses from being frightened or injured their heads should face left away from the passing traffic;

(e) each vehicle shall not carry more than four to six equines;

(f) each vehicle shall be provided with one attendant;

(g) these vehicles shall be driven at a speed not more than 35 kilometes per hour.

63. For the transport of equines by sea the following precautions shall be taken, namely :—

(a) horses may normally be accommodated in single stalls and mules in pens, each pen holding four to five mules;

(b) ample ventilation shall be ensured by keeping portholoes and providing permanent air trunks or electric blowers on all decks, and exhaust fans shall be installed to blow out foul air;

(c) all standings shall be athwart the ship with heads facing inwards;

(d) to avoid distress specially during hot weather, the ship may go under way immediately after unbarking disembarking shall be done as early as possible after anchoring;

(e) colts and fillies shall be kept on the exposed decks;

(f) a pharmacy and spare stalls for five per cent of equines shall be available;

(g) passage between two rows of pens shall not be less than 1.5 metres.

CHAPTER VI

Transport of sheep and Goats

64. Rules 65 to 75 shall apply to the transport of sheep and goats by rail or road involving journeys of more than six hours.

65. (a) A valid health certificate by a qualified veterinary surgeon to the effect that the sheep and goats are in a fit condition to travel by rail or road and are not suffering from infectious or contagious or parasitic disease shall accompany each consignment.

(b) In the absence of such a certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment for transport.

(c) The certificate shall be in a form specified in Schedule—J.

66. (a) Each consignment shall bear a label showing in bold red letters the name, address and telephone number (if any) of the consignor and consignee, the number and type of sheep or goats being transported and quantity of rations and food provided.

(b) The consignee shall be informed in advance about the train or vehicle in which the consignment of sheep or goats are being sent and its arrival time.

(c) The consignment of sheep or goats shall be booked by the next train or vehicle and shall not be detained after the consignment is accepted for booking.

67. (a) First-aid equipment shall accompany the sheep or goats in transit.

(b) Suitable ramps shall be provided for loading and unloading the sheep or goats.

(c) In the case of a railway wagon, when the loading or unloading is done on the platform the dropped door of the wagon shall be used as a ramp.

68. Sheep and goats shall be transported separately, but if the lots are small special partition shall be provided to separate them.

69. Ramps and male young stock shall not be mixed with female stock in the same compartment.

70. Sufficient feed and fodder shall be carried to last during the journey and watering facility shall be provided at regular intervals.

71. Material for padding, such as straw, shall be placed on the floor to avoid injury if an animal lies down, and this shall be not less than 5 cm. thick.

72. The animals shall not be fettered unless there is a risk of their jumping out and their legs shall not be tied down.

73. The space required for a goat shall be the same as that for a woolled sheep and the approximate space required for a sheep in a goods vehicle or a railway wagon shall be as under :—

Approximate weight ef animal in kilogram	Space required (in square meters)	
	Woolled	Shorn
Not more than 20	0.18	0.16
More than 20 but not more than 25	0.20	0.18
More than 25 but not more than 30	0.23	0.22
More than 30	0.23	0.26

74. (a) No railway wagon shall accommodate more than the following number of sheep or goats :—

Broad	Guage	Meter	Guage	Narrow Guage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Area of Wagon	Area ef Wagon	Area of Wagon	Area of Wagon	
Less than 21.1 Square Meters	21.1 Square Meters and above	Less than 12.5 Square Meters	12.5 Square meters and above	
70	100	50	60	25

(b) Adequate ventilation shall be provided in every wagon. Upper door of one side of wagon shall be kept open and properly fixed and the upper door of the wagon shall have wire guage closely welded mesh arrangements to prevent burning cinders from the engines entering the wagon and loading to fire breakout.

75. (1) Goods vehicles of capacity of 5 or 4½ tons, which are generally used for transporting animals, shall carry not more than forty sheep or goats.

(2) In the case of large goods vehicles and wagons, partition shall be provided at every two or three metres across the width to prevent the crowding and trapping of sheep and goats.

(3) In the case of awes, goats or lambs or kids under six weeks of age, separate panels shall bo provided.

B. B. KAPUR, Dy. Secy.

1. Schedule—A

(See rule 4)

Proforma for Certificate of Fitness to Travel—Dogs/cats

This certificate should be completed and signed by a qualified Veterinary Surgeon.

Date and time of examination——————————
Species of dogs/cats ——————————
Number of cages —————— Number of dogs/cats——————
Sex —————————— Age ——————————
Breed and identification marks, if any ——————————
Transporated from ———— To ———— Via————

I hereby certify that I have read rules 3 to 14 in Chapter II of the Transport of Animals Rules, 1978.

1. That, at the request of (consigner)—————— I have examined the above mentioned dogs/cats in their travelling cages not more than 12 hours before their departure.
2. That each of the dogs/cats appeared to be in good health, free from signs of injury, contagious and infectious disease including rabies and in a fit condition to travel by rail/road/inland waterway/sea/air.
3. That the dogs/cats were adequately fed and watered for the purpose of the journey.
4. That the dogs/cats have been vaccinated.

(a) Type of vaccine/s

(b) Date of vaccination/s

Signed——————————

Address——————————

——————————

Qualification ——————

Date ——————————

2. Schedule—B

(See rule 11)

Size and Type of Crate for Transport of Dogs.

The design of the cage mentioned in rule 11 in Chapter II of the Transport of Animals Rules, 1977 shall be as per the design as printed on page 7 of IS: 4746—1968 published by the Indian Standards Institution.

—All dimensions in centimetres

	By Rail/Road/Inland waterway, Sea	*By Air.*
Length (L)	A×1½	A+C+10
Width (W)	A	D×2+10
Height (H)	B+15	B+10

Length—Tip of nose to rect of tail(A)

Width—Width across the shoulders(D)

Height—Tip of ears to toe while standing (B)

Elbow size—Toe to tip of elbow (C).

Note : Gages, cartons or crates used to transport dogs, shall be of such material which will not tear or crumble. They shall be well constructed; well ventilated and designed to protect the health of dogs by giving them adequate space and safety. It is essential that wire mesh should be nose and paw proof; suitable material is that welded wire mesh of not less than 3 mm. with a spacing 12×12 mm. Expanded metal and wire netting are unsuitable for this purpose. There should be no protruding nails or unprotected edges of wire. Dogs kennels in rail coaches shall be so placed as to give protection to dogs from extremes of temperature and disturbance from birds and by giving them adequate space for health and safety.

3. Schedule—C

(See rule 11)

Size and Type of Crate for Transport of Cats

The design of the cage mentioned in rule 11 in Chapter II of Transport of Animals Rules, 1978 shall be as per the design as printed on page 8 of IS : 4746—1968 published by the Indian Standards Institution.

All dimensions in centimetres.

	By Rail/road/inland water way/sea	*By air*
Length (L)	A X" 2	A x 2
Width (W)	A	A
Height (H)	B+15	B+10

Length—Tip of nose to root of tail (A)

Width—Width across the shoulders (D)

Height—Tip of ears to toe while standing (B)

Elbow size—Toe to tip of elbow (C)

Note : Cages, cartons or crates, used to transport cats, shall be of such material which will not tear or crumble. They shall be well constructed, well ventilated and designed to protect the health of the cats by giving them adequate space and safety. It is essential that wire mesh should be nose and paw proof; suitable material is a welded wire mesh of not less 3 mm, with a spacing 12×12 mm. Expanded metal wire netting are unsuitable for this purpose. There should be no protruding nails or unprotected edges of wire. Cats Kennels in rail coaches shall be so placed as to give protection to cats from extremes of temperature and disturbance from birds and by giving them adequate space for health and safety.

Schedule—D

(See rules 16 and 32)

Proforma for certificate of fitness to Travel-Monkeys

This certificate should be completed and signed by a qualified veterinary surgeon.

Date and time of examination————————

Species of monkeys—— ———— ———— ——

Number of Cages——————

Number of Monkeys———————

Sex ———— Age ———— ——

Breed and identification marks, if any ————

Transported from ——— To ——— Via ———

I hereby certify that I have read rules 15 to 45 in Chapter III of the Transport of Animals Rules, 1978.

1. That, at the request of (consignor)——— I examined the above mentioned monkeys in their travelling cages not more than 12 hours before their departure.
2. That each monkey appeared to be in a fit condition to travel from the trapping area to the nearest rail-head/from the nearest rail-head to another rail-head/from the rail-head to the nearest airport/by air and is not showing any signs of infectious or contagious diseases.
3. That no monkeys appeared to be under 6 months of age and that no animal appeared to be pregnant.
4. That the monkeys were adequately fed and watered for the purpose of the journey.
5. That the monkeys have been vaccinated.

(a) Type of vaccine/s

(b) Date of vaccination/s

Signed——— ————

Address———— ——

Date :————

Qualifications————

Schedule—E.

[See rule 23(5)(a) and rule 23(6)]

Size and Type of Crate for transport of Monkeys from Trapping Area to nearest Rail-head

The construction details of two types of cages mentioned in rule 22(5)(a) and (b) in Chapter III of the Transport of Animals Rules, 1978 shall be as per the dimensions and design as printed on page 5 of IS : 3699 (Part-I)—1966 published by Indian Standards Institution.

Schedule F

[See rule 40(4)]

Size and Type of Crate for Transport of Monkeys by Air

The construction details of the two types of cages mentioned in rule 40(3)(a) & (b) in Chapter III of Transport of Animals Rules, 1978 shall be as per the dimensions and design as printed on page 6 of IS : 3059—1965 published by Indian Standards Institution.

7. Schedule G

[See rule 40(5)]

Size and Type of Crate for Transport by Air of Pregnant and Nursing Monkeys and Monkeys weighting over 5 Kg.

The construction details of the two types of cages mentioned in rule 40(5) in Chapter III of Transport of Animals Rules, 1978 shall be as per the dimensions and design as printed on page 7 of IS : 3059—1965 published by Indian Standards Institution.

8. Schedule H

(See rule 47)

Proforma for Certificate of fitness to travel Cattle

This certificate should be completed and signed by a qualified veterinary surgeon.

Date and time of examination————————

Species of Cattle——————

Number of Trucks/Railway Wagons——————

Number of Cattle——————

Sex ———— Age ————

Breed and identification marks, if any ————

Transported from ——— To ——— Via ———

I hereby certify that I have read rules 46 to 56 in Chapter IV of the Transport of Animals Rules, 1978.

1. That, at the request of (consignor)——— I examined the above mentioned Cattle in the goods vehicle railway wagons not more than 12 hours before their departure.
2. That each cattle appeared to be in a fit condition to travel by rail/road and is not showing any signs of infectious or contagious or parasitic disease and that it has been vaccinated against rinderpest and any other infectious or contagious or parasitic disease(s).
3. That the cattle were adequately fed and watered for the purpose of the journey.
4. That the cattle have been vaccinated.

(a) Type of vaccines

(b) Date of vaccination.

Signed————

Address—— ————

Date————

Qualifications————

9. Schedule I

(See rule 58)

Proforma for Certificate of fitness to travel—Equines

This certificate should be completed and signed by a qualified veterinary surgeon.

Date and time of examination———— ————

Species of Equines——————

Number of Equines——————

Sex ———— Age ————

Breed and identification marks, if any ————

Transported from ——— To ——— Via ———

I hereby certify that I have read rules 57 to 63 in Chapter V of the Transport of Animals Rules, 1978.

1. That, at the request of (consignor)——— I examined the above-mentioned equines not more than 12 hours before their departure.

2. That each equines appeared to be in a fit condition to travel by rail/road/sea and is not showing any signs of any infectious or contagious disease(s) and that it has been vaccinated against any infectious or contagious disease(s).

3. That the equines were adequately fed and watered for the purpose of the journey.

4. That the equines have been vaccinated.

(a) Types of vaccine(s)

(b) Date of vaccination.

Signed— ————————

Address——————————

Date————————— ——————————

Qualifications——————————

10. Schedule J

(See rule 65)

Proforma for Certificate of fitness to travel—Sheep and Goats

This certificate should be completed and signed by a qualified veterinary surgeon.

Date and time of examination ——————————

Species of animals——————————

Number of animals——————————

Sex——————————Age ——————————
Breed and identification marks, if any——————————
Transported from—— ————To————Via— — ———

I hereby certify that I have read rules 64 to 75 in Chapter VI of the Transport of Animals Rules, 1978.

1. That, at the request of (consignor)—————— I examined the above mentioned animals not more than 12 hours before their departure.

2. That each animal appeared to be in a fit condition to travel by rail/road and is not showing any signs of any infectious or contagious or parasitic disease(s) and that it has been vaccinated against any infectious or contagious or parasitic disease(s).

3. That the animals were adequately fed and watered for the purpose of the journey.

4. That the animals have been vaccinated.

(a) Type of vaccine(s).

(b) Date of vaccination.

Signed——————————

Address——————————

Date—————————— ——————————

Qualifications—————— ——

New Delhi, the 12th April 1978

No. J.12011/76/FRY(FD).—The Delhi Zoological Park Council, New Delhi and its Sub-Committees constituted vide Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. 5-21/59-FII dated November 22, 1960 as amended from time to time is hereby dissolved.

N. D. JAYAL, Jt Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 6th May 1978

RESOLUTION

No. PTH-4/77.—In supersession of the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Resolution No. 20-PGB(25)/73-PT, dated the 27th September, 1974, the Government of India have decided that the National Harbour Board shall be reconstituted as follows :—

Chairman

Minister for Shipping and Transport,

Government of India.

Members

1. Minister-in-charge of Ports, Government of Andhra Pradesh.
2. Minister for Ports, Fisheries and Small Savings, Government of Gujarat.
3. Minister for University Education, Labour & Ports, Government of Karnataka.
4. Home Minister, Government of Kerala.
5. Minister of Law & Judiciary, Fisheries, Khar lands, Ports and Inland Water Transport, Government of Maharashtra.
6. Minister of Commerce, Government of Orissa.
7. Minister for Transport, Government of Tamil Nadu.
8. Minister-in-charge of Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal.
9. Minister-in-Charge of Ports, Government of Pondicherry.
10. Secretary, Industries and Labour, Government of Goa, Daman and Diu.
11. Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Administration or his nominees.
12. Vacant. (To be filled by a Member of Rajya Sabha).
13. Shri Pabitra Mohan Pradhan, Member, Lok Sabha.
14. Shri R. Venkataraman, Member, Lok Sabha.
15. Shri Vinodbhai B. Sheth, Chairman, National Shipping Board.
16. Capt. J. C. Anand, Chief Executive, India Steamship Co. Ltd., India Steamship House, 21, Old Court House Street, Calcutta-1.—Representative of Indian National Shipowners Association, Bombay.
17. Shri K. S. G. Haja Shareef—Representative of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.
18. Shri D. M. Parekh, President, Federation of All India Sailing Vessels Industry Association, Bombay.—Representative of Sailing Vessels Interests.
19. Shri Mohan Nair, General Secretary of Indian National Port and Dock Workers Federation, (INTUC) Vasco-da-Gama, Goa.—Representative of Labour.
20. Shri T. M. Aboo, President, Cochin Port Cargo Labour Union, Eraveli Junction, Cochin-682001.—Representative of Labour.
21. Shri Vasant Gupte, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, Bombay.—Representative of Labour.
22. Mohd. Ismail, President, Water Transport Workers' Federation of India, 4, Ram Kamal Street, Calcutta-700023.—Representative of Labour.
23. Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation, (Department of Commerce), or his nominee.

24. Secretary to the Government of India, Ministry of Defence or his nominee.

25. Secretary to the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum), or his nominee.

26. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, or his nominee.

27. Chief (Transport and Communications), Planning Commission, New Delhi.

28. Joint Secretary (Ports), Ministry of Shipping and Transport as Member-Secretary.

29. The Director General of Shipping, Bombay.

2. The term of the non-official members shall be 3 years.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. R. MEHTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978